पंचम माला, खंड 31, अंक 30, मंगलवार, 4 सितम्बर, 1973/13 भाद्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXI, No. 30, Tuesday, September 4, 1973/Bhadra 13, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 30, मंगलवार, 4 सितम्बर, 1973/13 भाद्र, 1895 (शक)

No 30, Tuesday, September 4, 1973/Bhadra 13, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6	**S. N. Q. No. 6**	
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	*Re.* Adjournment Motions	9
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारें में	*Re.* Questions of Privilege	12
प्रेस संवाददाताओं को दो प्रश्नों के उत्तर परिचालित न करना	Non-circulation of Answers to Two Questions to Press Correspondent	12
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	14
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	17
कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया	Minutes-Laid on the Table	17
लोक लेखा समिति	Public Accounts Commttee	17
96वां प्रतिवेदन —प्रस्तुत	Ninety Sixth Report-Presented	17
विशेषाधिकारों संबंधी समिति	Committee of Privileges	17
पांचवां प्रतिवेदन —प्रस्तुत	Fifth Report—presented	17
कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयलाखान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Coking and Non-Coking coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill as passed by the Rajya Sabha	17
खंड 2 से 6 और	Clauses 2 to 6 and 1	18
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	18
कोकन तट पर यात्री नौवहन सेवाओं को बन्द करने के बारें में वक्तव्य	Statement *Re.* Stoppage of Passenger Shipping Services on the Konkan Coast	19
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	19
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	20
श्री आर० बी० बड़े	Shri R. V. Bade	20
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	21

श्री ई० ग्रार० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	21
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	22
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	22
श्री राम सिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma	23
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Singh Pradhan	23
श्री ग्रार० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	23
श्री प्रमन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	24
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	25
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	26
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandey	29
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	29
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	30
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shei Dinen Bhattacharyya	30
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	30
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	31
पांचवीं योजना के दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव	Motion *Re.* Approach to the Fifth Plan	31
श्री भागवत झा ग्राजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	31
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	32
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	34
डा० कैलास	Dr. Kailas	35
श्री मुरोसोली मारन	Shri Murasoli Maran	36
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	39

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1973/13 भाद्र, 1895 (शक)

Tuesday, September 4, 1973|Bhadra 13, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(Mr. Speaker in the Chair)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6

मार्च, 1973 के बाद आत्मसमर्पण करने वाले नागा तथा मिजो विद्रोही

श्री नवल किशोर सिंह :
श्री ए० एन० टोम्बी सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1973 के बाद कितने नागा तथा मिजो विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है; और

(ख) मार्च, 1973 के बाद नागा अथवा अन्य विद्रोहियों से कितने हथियार तथा गोला बारुद पकड़ा गया अथवा उनके द्वारा समर्पित किया गया उनका मेक, टाईप एवं बनाने वाले के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मार्च तथा अगस्त 1973 के मध्य प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार 1446 विद्रोही नागाओं तथा 43 मिजों विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है । इस में 1155 भूमिगत

नागा लोग भी शामिल हैं जोकि स्वंय बनाई गई क्रान्तिकारी नागालैंड सरकार से संबंधित हैं तथा जिन्होने 16 अगस्त 1973 को नागालैड के मोकोकचंग जिले में गूहनेबोतो स्थान पर आयोजित हुए एक प्रभावपूर्ण समारोह में अपनी भूमिगत गतिविधियों का परित्याग करने की घोषणा की है। अब वे कानून को मानने वाले भारतीय नागरिक के रूप में अपना जीवन बिताएंगे तथा कथित नागालैंड की क्रांतिकारी सरकार के 844 सशस्त्र व्यक्ति तथा 311 अन्य व्यक्ति अपने छिपे ठिकानों से बाहर आ गये उन्होने 280 शस्त्र तथा 12139 की संख्या में गोलाबारूद समर्पित किया ।

तथाकथित नागालैंड की क्रांतिकारी सरकार द्वारा समर्पित किये गये हथियारों में एम एम जीज मोटार्स, राकेट लांचर्स राईफले, एल एम जीज स्टेनगने आदि हैं हथियार तथा गोलाबारूद का आयुद्ध विशेषज्ञों द्वारा और आगे अध्ययन कया जा रहा है ।

अपने भूमिगत ठिकानो से बाहर आये व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्ति तथा कथित नागालैंड की क्रातिकारी सरकार के स्वंयभू प्रधानमंत्री स्केटो तथा स्वंयभू कंमाडर इन चीफ जुहोटो सेमा हैं। समारोह के दौरान स्वंय भूमिगत नागालैंड फेड्रल सरकार तथा उसके विदेशी निर्भर होने की गतिविधियों की निन्दा की जाती है और आशा की जाती है कि इस तथाकथित नागालैंड की क्रांतिकारी सरकार के और अधिक अनुयायी अपनी भूमिगत गतिविधियो को छोड देंगे तथा और अधिक शस्त्रास्त्र समर्पित करेंगे ।

नागालैंड सरकार ने अपनी भूमिगत गतिविधियां छोड देने वाले नागाओं के पुनर्वास हेतु उपयुक्त योजनाएं बनाई हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न के बारे में

RE: SHORT NOTICE QUESTION

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, मैं जानना चाहूंगा कि आपने यह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कैसे कर लिया इस सत्र के दौरान हमने सैकडों सूचनाएं अल्प सूचना प्रश्नों की दी थी परन्तु एक भी स्वीकृत नहीं हुआ है क्या आप बतायेंगे कि यह मामला जोकि छः मास पुराना है कैसे अल्प सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया गया यह बड़ी ही कटु बात है बड़ी ही अकल्पनीय बात है –

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में यह बात उठी थी।

It was discussed in the House yesterday.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, there should be some changes in the rules regarding Short Notice Questions. It cannot be left at the mercy of the Minister only. Other questions are not "admitted subject to the Minister agreeing to them". It is the Chair who decides about these questions; then why separate rules in respect of Short Notice Questions ! You can as well ask the Minister to admit the S.N.Qs.

Mr. Speaker: The rules have been made by the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ने इस सत्र के दौरान कम से कम सैकड़ो सूचनायें दी है परन्तु एक भी स्वीकृत नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि यह परस्पर एक दूसरे को खुश करने वाला दल है; कोई काँग्रेसी सदस्य अल्प सूचना प्रश्न पेश करता है और उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाता है दूसरों द्वारा रखे गये प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाता यह बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं .. . . . (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं श्री बाजपेयी से सहमत हूं कि नियम 1 में परिवर्तन होना चाहिये। अल्पसूचना प्रश्न के संबंध में केवल एक ही शर्त है और वह यह कि क्या उसे अल्प सूचना देकर पूछा जाना चाहिए प्रश्न स्वीकार करने योग्य हो सकता है परन्तु कठिनाई केवल इतनी है कि मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह उसका उत्तर अल्प सूचना में नहीं दे सकते। परन्तु हम देखते है कि उसी प्रश्न का उत्तर दस दिन बाद दे दिया जाता है केवल मंत्री महोदय ही यह कह देते हैं कि प्रश्न का उत्तर अल्प सूचना में नहीं दिया जा सकता यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

Shri Madhu Limaye: Sir, I rise on a point of order. I concede that everything cannot be done according to rule. There are certain conventions and understandings too. In Maharashtra State Assembly the Chairman is given the discretionary powers to order the Minister to answer in case the latter puts any obstacle. In case you don't want such a rule, I have nothing to say. But there should be some understanding that at least those questions which you think are important, and particularly during the last 20 days of the Session when time for putting Starred Question is not left it should be made obligatory for the Minister to reply it. The Minister should agree to answer the Short Notice Questions at the instance of the Speaker.... (*interruptions*).

Shri Hukam Chand Kachwai: Earlier there was a convention of clubbing five Members names over one question. At least that convention should be revived.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 54 के उपनियम (1) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हू जिसमें यह कहा गया है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के बारे में 10 दिन से कम अवधि की सूचना देकर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आप अध्यक्ष महोदय के विचार में वह मामला अविलंबनीय स्वरूप का हो . . .

श्री श्याम नन्दन मिश्र : निश्चय वह ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कर सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसी बारे में तो पूछ रहा हूं उस प्रश्न के संबंध में इतनी शीघ्रता क्या है। यह तो छः मास पहले का मामला है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: No, no Mr. Speaker, Sir, despite that Rule, you have, on several occasion, stated in this House that you cannot help in case the hon. Minister was not ready to answer at Short Notice. You should have powers, in view of the urgency of the matter....

Mr. Speaker: You give me that power.

Shri Atal Behari Vajpayee: You would be able to ask the hon. Minister then.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमारा निवेदन यह है कि इस संबंध में निर्णय के बारे में मंत्री महोदय के एकाधिकार पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कभी-कभी मंत्री जी ढ़ोल बजाते हुए कहते हैं --
We would admit in case Shri Jyotirmoy Basu puts a Short Notice Question.
यह वह तब कहते है जबकी उन्हें उस में अपना लाभ नजर आता है वस्तुतः ही यह संस्था परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करने वाली संस्था है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या हमारा संसदीय रिकार्ड इसी प्रकार की उक्तियां या ऐसी ही कहा सुनी से भरा होना चाहिये जोकि वस्तुतः संसद् से बाहर की बातें हो सकती हैं और जो कि यहां

सदन में जनता तथा प्रेस की मौजूदगी में नहीं होनी चाहियें क्या ऐसा करना उचित है, नियमानुसार है जिनका आप यहां पालम कराते हैं? यहां तो ऐसी बाते भी कही जा रही हैं जिनको लेकर हमारी संसद् तथा हमारे देश के नाम को उछाला जा सकता है। क्या यह आपका दायित्व नहीं कि आप ऐसी बातों को यहां खुले रूप से बोलने न दें तथा संबंधित व्यक्ति से अपने कक्ष में या घर बुला कर बातचीत कर ले तथा इस प्रकार ऐसी बातों को यहां रिकार्ड में न आने दें तथा संसद् के नाम पर धब्बा न आने दें ?

श्री डी० एन० तिवारी : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्याम नन्दन मिश्र : वह किस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं हम ने तो कोई आपत्तिजनक बात नही कही है ?

श्री समर गुह : मैं आप का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि लगभग इसी प्रकार के अल्प सूचना प्रश्न की सूचनायें हमने भी दी थीं परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया था अब एक पारस्परिक समझौते के आधार पर यह प्रश्न उठा लिया गया है मैं जानना चाहता हूं क्यों?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार तो नहीं चल सकते ।

श्री समर गुह : मैं इसका औचित्य जानना चाहता हूं कुछ समय पूर्व इस प्रकार के अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी गई थी उसे अस्वीकृत कर दिया गया था। अब, सत्र के अवसान के समीप उस विषय पर प्रायः उसी प्रश्न को जिसे पहले अस्वीकर कर दिया गया था स्वीकार कर लिया गया है उसका क्या औचित्त है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहां हूं ?

कल साय यही प्रश्न उठाया गया मैंने उसे सभा के सामने रखा था। कार्य सलाहकार समिति ने निर्णय किया है कि कोई अन्य विषय नहीं उठाया जायेगा परन्तु यह प्रश्न आया। मंत्री महोदय स्वीकार किया और मैंने उसे यहां सभा में पेश कर दिया। ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऐसे अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किए जाते हों मैं ने सोचा मुझे बीच में नहीं आना चाहिये।

श्री समर गुह : पहले ऐसा ही प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : : श्री बसु कल यहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कार्यवाही पढ़े बिना ही इस बात को फिर उठा दिया।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम इस पर आपत्ति तो नहीं उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अनुपस्थित थे इसी लिये उन्होंने इसे दौबारा उठाया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सब के लिये समान मान दण्ड होने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : एक बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा विकल्प यह सुझाया गया है कि मुझे वे शक्तियां दी जाये। यदि आप मुझे वे शक्तियां देते है यदि नियम अनुमति देते हैं तो मैं उस शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। यदि आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते तो मैं नहीं कर सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नियमों को बदल दीजिये।

Shri Madhu Limaye: Well, let us adopt the rules followed by the Maharashtra Assembly.

अध्यक्ष महोदय : फिर तो अल्प सूचना प्रश्न जैसा कोई प्रश्न नहीं होगा। यदि अध्यक्ष ने ही यह सब करना है कि तो फिर ऐसा प्रश्न सामान्य प्रश्नों की सूची में ही एक स्थान पायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में निर्णय करते हैं। फिर आप अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में निर्णय क्यों नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे करने को कहते हैं तो मैं इसे साधारण प्रश्नों की सूची में रखूंगा अन्य प्रश्नों के साथ यह भी होगा।

जहां तक इस टिप्पणी का संबंध है कि यह जान बूझकर किया गया है तो ऐसा कभी कभी अन्य देशों की संसदों में भी कभी हो जाता है कि स्वंय मंत्रियों को भी अपने विभागानुसार किसी प्रश्न का उत्तर देने का अवसर नहीं मिलता है। अतः वह ऐसा करते हैं कि वे किसी सदस्य से कहते हैं कि वह प्रश्न पूछे और मंत्री इसका उत्तर दे दें। इस प्रकार उस मंत्री को कम से कम वर्ष में एक बार तो उत्तर देने का तथा लोगों के समक्ष आने का अवसर मिल ही जाता है। यह मंत्री तो रोज ही लोगों के समक्ष आते हैं। अत: मैं समझता हूं कि यह बात इन पर लागू नहीं होती कि यह प्रश्न कहकर करवाया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमन, मैं भी एक शब्द जोड़ दूं। इस अल्प सूचना प्रश्न कि भी एक पृष्ठ भूमि है। स्वंय इस सभा में ही एक दिन श्री नवल किशोर सिन्हा ने यह प्रश्न उठाया था और अनेक माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में सरकार एक वक्तव्य दे। इस पर सभापति ने सरकार से कहा था कि सरकार एक वक्तव्य दे। इस से पूर्व मेरे पास एक अल्पसूचना प्रश्न आता है और मैं सोचता हूं कि यह प्रश्न सभा में व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप सही नहीं होगा कि मैं उसे अल्प सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लूं, अत: यह इस प्रश्न के पीछे का इतिहास है जो कि मैं सभा को बताना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी मैं मंत्रियों को यह सलाह दूंगा कि वह विपक्ष के तथा सरकार के मध्य इस सम्बन्ध में एक संतुलन रखें, जहां तक अल्प सूचना प्रश्नों का सम्बन्ध है यह धारणा मिटाने के लिए कि वे केवल कांग्रेसी सदस्यों के ही स्वीकार होते हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा की भविष्य में जब आप इस ओर से एक प्रश्न स्वीकार करें तो फिर एक प्रश्न विपक्ष की ओर से भी स्वीकार कर लें।

अब श्री नवल किशोर सिन्हा अपना अल्प सूचना प्रश्न पूछें।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या विद्रोही नागाओं से पकड़े गए शस्त्रों से ऐसा नहीं लगता कि इन के सैनिक संगठन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। मशीनगनें, मार्टर, राकेट लांचर, राइफलें आदि खुले बाजार से तो उपलब्ध हैं नहीं, इसके लिए विदेशों के कुछ लोग ही सहायता करते होगें। समाचार-पत्रों के अनुसार वर्तमान स्थिति के लिए छ: तत्व जिम्मेदार हैं—वे हैं बर्मी सेना के भूतपूर्व सेनापति, बो लाथ बा, दूसरा अरावान स्वतंत्रता सेना के माऊ सांग—ये बर्मा सरकार विरोधी है। तीसरा पाकिस्तानी सैनिक भगौड़े, चौथे लाल डेंगा के स्वंय सेवक, पांचवे कोचीन स्वतंत्रता सेना के सदस्य और छटे फिजो के साथ टी० पी० बानो की क्रान्तिकारी परिषद्। इसके अतिरिक्त संविदा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री अंगामी और केन्द्रीय उप-मंत्री श्री जामिर के समर्थको का भी हाथ है . . . . (**व्यवधान**) समझा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल की सफलता के कारण नागालैंड सरकार के रवैये में जो कुछ ढिलाई आ गई है वह भारत सरकार के रवैये में नहीं आएगी तो निकट भविष्य में सरकार क्या उपाय करेगी ताकि ये छ: तत्व तथा अन्य तत्व शान्ति-प्रयासों को असफल न बनाएं और देश के विरुद्ध कार्य न करें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न के पहले भाग के बारे में हमें केवल ये बातें पृष्ठ भमि में रखकर ही इस समस्या पर सोचना चाहिए । इस बीच केवल 397 शस्त्र ही स्वतः सौंपे गए हैं, और इनमें चीन के अलावा कुछ अन्य देशों के भी है चीन ने भारत के अतिरिक्त बर्मा सरकार के विरुद्ध भी इस प्रकार की सहायता दी है । यह कहना ठीक न होगा कि ये छः तत्व मिल कर सांठ गांठ कर रहे हैं यद्यपि यही कहा जा सकता है कि संभव है कभी-कभी उन्होंने आपस में मिल कर कार्यवाही की हो ।

'संविदा के बारे में मैं इतना हो कहूंगा कि इसकी आस्था शान्तिपूर्ण तरीकों में और आशा है कि नागालड की समस्याओं के प्रति उसका यही रवैया रहेगा । अंगामी इसके अध्यक्ष नहीं है केवल सदस्य हैं जैसे श्री जामिर हैं ।

नागालैंड या भारत सरकार वहां की गतिविधियों के प्रति असावधान नहीं है। यह तथ्य कि उन 1000 लोगों ने जो पथभ्रष्ट थे, अब सीधे पथ पर आ गए हैं, सिद्ध करना है कि वहां की स्थिति सुधार रही है । श्री स्वंय स्केटों स्वू ने वहां की तथा कथित क्रान्तिकारी सरकार के माग होने पर आशा व्यक्त की है कि अब सभी नागरिक मिल कर उस क्षेत्र के विकास में सहायक होंगे और उन्होंने यह वचन भी दिया है कि वे सब लिखकर राज्य सरकार और केन्द्र को सहयोग देंगे ।

इसके अलावा नागालैंड सरकार ने वहां शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य स्वंय संभाल लिया है और वह यह कार्य बड़ी तत्परता और सुचारू ढंग से कर रही है ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या चव्हाण–मार्ग जिससे चीन में प्रशिक्षित विद्रोही नागा आकर गड़बड़ करते थे, अब वन्द कर दिया गया है ?

श्री के० सी० पन्त : इक्का दुक्का लोगों का आना जाना रोकना असंभव-सा है । तथापि हमारी रक्षा सेनाएं वहां बहुत सतर्क हैं और ऐसे लोगों को सीमा पर महीनों तक ऐसे अवसरों की तलाश रहती है, और छुटपुट आवागमन रोकना बहुत कठिन है । फिर भी हमें इसका पता लग जाता है और सूचना मिलते ही, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है । इस बारे में प्रत्येक तरह की सूचना हम सभा को देते ही रहते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : पकड़े गये 397 शस्त्रों में से कितने अमरीकी हैं और कितने अन्य देशों के हैं तथा कितने भारतीय हैं ?

श्री के० सी० पन्त : हमारी सूचनानुसार, कोई भी शस्त्र अमरीका का बना हुआ नहीं है । जैसा मैं ने पहले बताया कुछ शस्त्र चीनी है तथा कुछ अन्य देशों के हैं । हो सकता है कि ये शस्त्र उन्हें गत युद्ध के बाद पड़े मिले हों । हमें अन्य देशों के नाम बताने की क्या कोई आवश्यकता है ? यदि आप जानना ही चाहेंगे तो में नाम बता दूगां ?

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार : भारत में बने शस्त्रो की संख्या कितनी है ।?

श्री के० सी० पन्त : अधिकांश भारत के ही बने हुए हैं । जहां कुछ लिखा हुआ नहीं है वहां भी संभवतः वे भारत के ही बने हुए हैं । फिर भी अभी जांच जारी है और निचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता उन पर चिन्ह स्पष्ट नहीं हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या अभी तक देश से बाहर लंदन में रह रहे श्री फिज़ो और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षित विद्रोही नागाओं में अभी तक सम्पर्क स्थापित है ? क्या इस सम्पर्क को तोड़ा जाएगा और उसे यहां मुकदमा चलाने के लिए भारत लाये जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

श्री के० सी० पन्त : श्री फिजो यू० के० में हैं और हमारी सूचना नूसार वह अभी भी नागालैंड में कुछ लोगों के साथ समपर्क बनाए हुए हैं, और उन्हें समय-समय पर उससे सलाह मिलती रहती है यद्यपि वह अपने अनुयायियों पर यहां हिन्सात्मक गतिविधियां जारी रखने के लिए निरन्तर दबाब डालते है परन्तु स्थिति में इतना सुधार हुआ है कि हम कह सकते हैं कि नागालैंड में उनके कदम उखड़ रहे हैं। अतः हमें किसी एक व्यक्ति के महत्व को इतना प्रश्रय नहीं देना चाहिए ।

श्री तरुण गोगोई : क्या विद्रोही नागाओं और मिजों लोगों के शस्त्र डाल देने से वहां की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और क्या छिपे नागाओं द्वारा सरकारी कमचारियों की हत्या और बम फैंकने आदि की गितिविधियां तेज की जा रही हैं ?

श्री के० सी० पन्त : मिजोरम और नागालैंड में इन घटनाओं की संख्या बढ़ी है परन्तु मिजोरम के बारे में इन घटानाओं की किस्म में परिवर्तन आया है । पहले रक्षा सेनाओं और छिपे मिजो लोगों में विद्रोह की तरह की झड़पें होती थीं परन्तु, अब अकेले झड़पें होती हैं। इनमें से कुछ में उनके पुराने साथी होते हैं जिन पर हमले होते हैं। अंतः दोनों में फर्क है। बंगला तेश बनने के बाद उनका अड्डा समाप्त हो गया है और अब वे तितर-बितर हो गए हैं। और अब केवल अपने अस्तित्व का मान कराने के लिए वे ही ऐसी कार्यवाही करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: In the later part of the original question it has been explicitly asked as to which countries send the arms to the Nagas. How many of those who have surrendered took training in foreign countries and how many persons have gone for training in the foreign countries. In reply to a question you stated just now that the units of security forces have been clashing with the Naga hostiles. Will you order the straightaway shooting of underground Nagas at the time of clashes. Is it not a fact that the underground Nagas plan to rise in revolt against Nagaland Government after surrender?

Shri K. C. Pant: Socalled Revolutionary Government of Nagaland is in existence since 1968. Its underground wing had separated and believes in solving the problems through negotiations. The question of sending volunteers for training to the foreign countries after 1968 does not therefore, arise.

So far as the question of shooting the hostile Nagas is concerned, it may be pointed out that nobody can be checked through firing. Some people including underground Nagas are generally killed in firing. There is, therefore, no question of issuing orders.

श्री पाओवाई हावोकिप : मंत्री ने अपने पहले उत्तर में स्पष्टरूप से यह नहीं बताया कि समर्पण करने वाले उन 1000 लोगों के बीच कितने असैनिक तथा कितने छिपे नागा थे। विद्रोही नागाओं की बढ़ती तोड़फोड़ की गितिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार छिपे नागाओं से वार्ता. करने हेतु कुछ विशेष कदम क्यों नहीं उठाती ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रथम प्रश्न का उत्तर मैं अपने मूल विवरण में दे चुका हूं। इन 1155 व्यक्तियों में से 844 सशस्त्र व्यक्ति तथा अन्य 311 नागालैंड की तथाकथित क्रांतिकारी सरकार के सदस्य हैं और कुछ अधिक लोगों के समर्मण किए जाने की सम्भावना है। चूंकि समर्पण अल्पसूचना पर हुआ अत: दूरस्थ क्षेत्रों से लोग एकत्र नहीं हो सके। यह क्रम सम्भवत: चलता रहेगा। नागालैंड के मुख्य मंत्री ने मुझे अभी हाल में यही बताया।

दूसरे प्रश्न के बारे में यही कहूंगा कि किसी राज्य के प्रशासन अथवा विकास कार्यों के बारे में हम भारत के नागरिकों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नागालैंड संबंधी वार्ताओं को पुन: शुरू करने के बारे स्थिति यह है कि 1960 का समझौता ही, जिसे नागा नेताओं ने स्वीकार किया तथा जिसका समर्थन नागालैंड के लोगों ने किया, नागा समस्या के बारे अंतिम समझौता है। इस मामले में हमारी स्थिति यह है और यदि कोई किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं तो हम अवश्य सुनेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : नागालैंड सरकार के एक प्रकाशन में कहा गया है कि :—

"राजनैतिक समस्या और एक ऐसी समस्या जो मूलत: बुनियादी है, का हल सेना नहीं है।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छिपे नागाओं की समस्या के मामले में क्या नागालैंड सरकार का भारत सरकार से मतभेद है ?

(ख) मंत्री महोदय ने कहा हैं कि इस वर्ष 1400 व्यक्तियों ने समर्पण किया है। हम प्रति वर्ष इस प्रकार के समर्पण, पकड़े जाने और मारे जाने के बारे में प्रति वर्ष सुनते आ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छिपे नागाओं की संख्या क्या है। हमें बताया गया है कि यह संख्या 5000 है। अब तक जो नागा पकड़े गये या जिन्होंने समर्पण किया, उनकी संख्या अब तक 10,000 हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के अनुमान से छिपे नागाओं की वर्तमान संख्या क्या है।

(ग) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नागा पीस ओबज़र्वरज टीम, जिसमें छिपे तथा बिना छिपे नागाओं का प्रतिनिधित्व है, ने कोई वार्ता की है और इसकी प्रगति क्या है।

(घ) मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फिज़ो ने राजनैतिक समझौते की पेशकश की है। भूतपूर्व केन्द्रीय उपमंत्री श्री जमीर ने कहा है :—जब से शेख अब्दुल्ला से बातचीत कर सकते हैं तो छिपे नागाओं से बातचीत करने में क्या बुराई हैं। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नागालैंड सरकार तथा भारत सरकार निकट सम्पर्क तथा सहयोग से काम कर रही हैं। मतभेद होने का कोई प्रश्न नहीं। वास्तव में नागालैंड सरकार कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहती थी और हमने अपनी सहमति दे दी और आज कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकांश नागालैंड सरकार के हाथ में है। वहां सैना हैं। आवश्यकता पड़ने पर नागालैंड सरकार उसका उपयोग करती हैं। पहले की तरह इसका उपयोग गांव में नहीं किया जाता। यदि किया जाता है तो बहुत कम। नागालैंड सरकार गांवों के इर्दगिर्द कानून और व्यवस्था स्थिति बनाये रखती है और यह बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। नागालड सरकार की दृढता प्रशंसनीय है और सभा को इस बात का नोट रखना चाहिये। उग्रवादी नागा सैना की मूल्यांकित संख्या 1300 से 1400 तक हैं। माननीय सदस्य ने छिपे तथा बिना छिपे नागाओं की संख्या तथा श्री फिज़ो द्वारा वार्ता की पेशकश के बारे में कहा है। मैं विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कह चुका हूं कि 1960 के समझौते को नागाओं ने स्वीकार किया था, जिसके बाद नागालैंड में चुनाव हुये जिसका अनुसमर्थन नागाओं ने भी किया। नागा समस्या का यह अन्तिम समझौता है। नागालैंड को अधिक स्वायत्तता देने हेतु संविधान का

संशोधन करने की आशा रखना न तो उचित है और न ही यथार्थ । 1960 के समझौते के अन्तर्गत शान्ति स्थापित होने पर अथवा छिपे नागाओं द्वारा समर्पण किये जाने के बाद ही भारत सरकार उन अन्य मामलों की ओर ध्यान दे सकती है । इसके साथ-साथ यदि कोई नागरिक नागालैंड की कठिनाइयों तथा अन्य मामलों के बारे में बात करना चहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन जिन्होंने शस्त्र हाथ में ले लिये हैं और नागालैंड की शान्ति भंग करना चाहते हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे ।

श्री समर गुह : इस बात को सभी जानते हैं कि श्री फिज़ो तथा श्री लालडेंगा क्रमशः नागा तथा मिज़ो विद्रोहियों के नेता थे और चीन तथा पाकिस्तान सरकारें इन्हें शस्त्र तथा प्रशिक्षण प्रदान करती थीं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने समर्पण किया, उनकी पूछताछ करने के बाद क्या सरकार चीन तथा पाकिस्तान सरकारों के नागा तथा फिज़ो विद्रोहियों सम्बन्धी रवैये के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है और श्री फिज़ो तथा श्री लालडेंगा की नागा तथा मिज़ो विद्रोहियों सम्बन्धी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हुआ है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सभा जानती हैं कि छिपे नागा तथा विशेषतः मिज़ो का पूर्व में, जो अब बंगला देश में है अड्डा था और इनके दल प्रशिक्षण तथा शस्त्र के लिये चीन भी जाते रहे हैं । अतः यह बात निश्चित है कि पाकिस्तान तथा चीन के इन छिपे तत्वों से सम्पर्क थे ।

श्री फिज़ो अथवा श्री लालडेंगा के दृष्टिकोण में किसी प्रकार के परिवर्तन की मुझे कोई जानकारी नहीं ..... (व्यवधान) ..... लेकिन पाकिस्तान द्वारा उपद्रव मचाने की क्षमता में अब बहुत कमी हुई है (व्यवधान) इसके बावजूद भी मेरे मित्र इस बात की सराहना करेंगे कि बंगला देश के अभ्युदय के साथ उनकी क्षमता में बहुत कमी हुई है ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE: ADJOURNMENT MOTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री आई० के० गुजराल वक्तव्य दें ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : स्थगन प्रस्ताव का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय करना कार्य मंत्रणा समिति तथा सदन का काम है । मैंने किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : जहां तक प्रस्ताव के स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का प्रश्न है कार्य मंत्रणा समिति का इसके साथ क्या ताल्लुक है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : (ग्वालियर) : कार्य मंत्रणा समिति ऐसे मामलों में क्या कह सकती है जहां कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं का कोटा 45,000 टन से घटा कर 20,000 टन कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इन प्रस्तावों का सम्बन्ध हैं माननीय सदस्यों का कहना हैं कि वह अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के हैं । पहला श्री समर गुह का है और दूसरा प्रो० दण्डवते

का । इनका कथन हैं कि सरकार द्वारा अधिग्रहण असफल रहा हैं । किन्तु इसे स्थगन प्रस्तावों के अधीन नहीं रखा जा सकता ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, सदन का औचित्य उसकी परम्परा तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखना आपका कार्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किस प्रकार ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा वक्तव्य ही क्यों दें जिससे सदन अपने अधिकार से वंचित हो ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी यह निर्णय सदन के समक्ष रखा गया था और इस पर वोट लिया गया और सदन ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया था । मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य को इसका ज्ञान क्यों नहीं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Nobody can anticipate what is going to happen tomorrow. The House cannot reject any adjournment motion merely on the plea that the House has already taken a decision not to entertain any adjournment motion. The house can change its decision should such a need arise.

अध्यक्ष महोदय : इन तीन दिनों के लिए हमारा यह निर्धारित कार्यक्रम है । मैं इस विषय पर बहस नही करना चाहता । मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं भी कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं और उसमें यह निर्णय लिया गया था नियम 194 अथवा 184 के अधीन कोई प्रस्ताव अथवा प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा पर इसके बावजूद भी आपने एक अल्पसूचना प्रश्न की अनुमति दे दी ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Adjournment motion, no-confidence motion and privilege motion are priority motions.

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : प्रक्रिया के सम्बन्ध में आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के नियम संख्या 60 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें कहा गया है :

"परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं हैं तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़ कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इनकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने का कारण बता सकेगा ।"

अतः स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा आप इसके लिए कारण बताइए । कल सत्र का अन्तिम दिवस है हममें से कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाना चाहते हैं । आज स्थिति यह हैं कि सम्पूर्ण पश्चिमी तट पर कोई रेल सेवा नहीं साथ ही स्टीमर सेवा भी ठप्प है । इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही हैं । साथ ही किराए भी बढ़ाए जा रहे हैं और आप कैसे कहते हैं कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव के अनुकूल नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव नहीं अपितु निन्दा प्रस्ताव हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल आपने खाद्य मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहा था . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे सदस्य एक साथ बोल रहे हैं । जब तक सभी बैठ नहीं जाएंगे मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा ।

जहां तक पहले प्रस्ताव का संबंध है मैं मंत्री महोदय को विवरण देने के लिए कहूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्तावों के बारे में यद्यपि, वह ग्राह्य नहीं है मैं मंत्री महोदय को विवरण देने के लिए कहूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव के संबंध में सरकार पहले ही वक्तव्य दे चुकी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अभी आपने श्री वाजपेयी के प्रस्ताव को जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को गेहूं के कोटे की सप्लाई न कर पाने पर सरकार की असफलता का उल्लेख किया है स्थगन प्रस्ताव की कोटि में न रखकर निन्दा प्रस्ताव की कोटि में रखा है । इस तरह तो आप एक नई प्रक्रिया का सूत्रपात कर रहे है । क्योंकि आज तक सरकार की इस असफलता पर आधारित प्रस्ताव स्थगन प्रस्तावों के अन्तर्गत रखे जाते रहे हैं भविष्य में आपका यह निर्णय सदा उद्धृत किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कुछ विशेष ढंग है ।

स्थगन प्रस्ताव का पाठ हमेशा सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) :अध्यक्ष महोदय क्या यह सही नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव भी होता है किन्तु दोनोंमें यह अन्तर है कि स्थगन प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को पदत्याग नहीं करना पड़ता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को पदत्याग करना आवश्यक हो जाता है । आपने कहा है कि मैंने, असफलता शब्द से वाक्य प्रारम्भ किया है किन्तु यह शब्द पहले आए या बाद में आए इससे क्या अंतर पड़ता है और यदि आप इसी को आधार मानते है तो यह एक अनुचित पूर्वोदाहरण बन जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे इनकार नही करता कि स्थगन प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव भी होता है किन्तु इसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तभी मामले पर चर्चा होती है और मंत्री महोदय उत्तर देते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : नियमों में केवल स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव का ही उल्लेख है । निन्दा प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर यही बात है तो आगे से मैं कोई निन्दा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में प्रेस संवाददाताओं को दो प्रश्नों के उत्तर परिचालित न करना

RE: QUESTION OF PRIVILEGE—NON-CIRCULATION OF ANSWERS TO TWO QUESTIONS TO PRESS CORRESPONDENTS

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये मैंने आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री के पास भेज दिया था मंत्री महोदय उस बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye: How can the hon. Minister make a statement at this stage. Let me formulate my privilege motion first. I want to make the House aware of the facts.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): सत्र की अवधि योजना पर चर्चा हेतु बढ़ाई गई न कि इन सब बातों के लिए।

श्री बसन्त साठे (अकोला): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न नियम 222 के अंतर्गत इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 222 इस पर लागू नहीं होता।

श्री भागवत झा आजाद : आप किस नियम के अधीन यह प्रश्न करने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव बिना अनुमति के प्रस्तुत होता है तो अध्यक्ष को माननीय सदस्य की बात सुनने का अधिकार ह और फिर मंत्री का उत्तर सुनकर वह निर्णय देता है। मैं केवल उनकी बात सुन रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपसे सहमत हूं कि आपको उनकी बात सुनने का अधिकार है लेकिन आप उनकी बात दो बार पहले सुन चुके हो अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य और मंत्री महोदय की बात सुनकर ही अपना निर्णय दूगा।

Shri Madhu Limaye: Instead of making a speech I will just read out my notice.

अध्यक्ष महोदय : मुझे सचिव ने बताया है कि आप सदन में इस नोटिस को पहले पढ़ चुके हो।

Shri Madhu Limaye: I have written to you two letters under Rule 225. In my notice I have raised the question of the privilege of the House.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा है कि यदि आपको कोई बात स्पष्ट नहीं तो आप माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकते है। यह जो नोटिस श्री लिमये पढ़ रहे हैं वह यह आपको भेज चुके हैं और आप पहले ही इसे पढ़ चुके हो।

अब इसे पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ शंकायें हैं, तो उन शंकाओं के बारे में श्री मधु लिमये स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka): I am ready to abide by your order.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये इस मामले को पहले ही सदन के सम्मुख उठा चुके हैं।

Shri Madhu Limaye: I had raised the point of order and not the privilege issue.

मैंने स्पष्ट रूपसे प्रारम्भ में ही पूछा था कि क्या आपने इसे सभा-पटल पर रखा था। आपने कहा किनहीं। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या आपने इसका सदन में उल्लख किया था। आपने कहा "नहीं"। आप इसका सदन में पहने ही उल्लेख कर चुके हैं।

Shri Madhu Limaye: We have to see whether there was any lapse on the part of Parliament Secretariat or the Ministry of Finance or that of the Ministry of Information. Parliament Secretariat had made no mistake. The Ministry of Finance had also supplied them in time. Now it has to be decided whether the Ministry of Information had circulated them in time.

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (**श्री धर्मवीर सिंह**) : दिनांक 31 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5121 और 5131 के उत्तरों की साइक्लोस्टाइल प्रतियां वित्त मंत्रालय से प्राप्त होते ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों को देने लिए संसद भवन के प्रेस कक्ष में 12 बजकर 10 मिनट पर रखी गई थी। प्रेस सूचना ब्यूरों ने उन प्रतियों को उपलब्ध करने में कोई विलम्ब नहीं किया।

यह कहना भी सही नहीं है कि प्रेस कक्ष को उत्तर सप्लाई नहीं किये गये। अनेक समाचार एजेन्सियों ने इन उत्तरों को प्रसारित किया और अनेक समाचार पत्रों ने भी इन्हें प्रकाशित किया। संसद ग्रन्थालय को उत्तर लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारा सप्लाई किये जाते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा नहीं।

* **Shri Madhu Limaye:** The Privileges Committee should examine whether P.I.B. had inserted these questions in the bunches or not. I am prepared to supply the names of the correspondents in whose bunches these questions were not found.

Shri Dharam Bir Sinha: These questions were received later and there was no time to insert them in the bunches. (Interruptions).

Shri Madhu Limaye: This should be examined whether these questions were supplied upto 12 O'clock separately or in the bunch.

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्नों के उत्तर लोक सभा सचिवालय में प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ नोटिस कार्यालय में रख दिये जाते हैं और कुछ ग्रन्थालय में रखे जाते हैं। हम समाचार पत्रों को भी सप्लाई करते हैं ....

श्री मधु लिमये : क्या आप भी समाचार संवाददाताओं को प्रश्नों के उत्तर सप्लाई करते हैं और सभी संवाददाताओं को नहीं।

Mr. Speaker: The Minister has said that his department provides service as we provide. If there is some delay, how could it be a question of privilege. But I have told him that if they supply questions, all the questions should be supplied, otherwise the service should be handed over to us. This is not a matter of privilege. They are not bound to perform this function as part of their duty to the House.

श्री मधु लिमये : यह इनकी ड्यूटी है।

अध्यक्ष महोदय : अगर उत्तर बाद में प्रस्तुत किये जाते हैं,तो उसके बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए और मुझे इसका कारण बताया जाना चाहिए कि इसमें क्यों विलम्ब हुआ ? परन्तु इसमें विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : विशेषाधिकार के प्रश्न को अलग छोड़कर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका मतलब यह है कि प्रेस सूचना ब्यूरो अथवा अन्य संगठन भेदभाव कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को यह सलाह देना चाहता हूं कि सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी: यह सदन के अधिकार का प्रश्न है। भेदभाव के प्रश्न की किसी न किसी संस्था भले ही वह विशेषाधिकार समिति न हो—द्वारा जांच कराई जानी चाहिए।

श्री आई० के० गुजराल: हमें उत्तरों की प्रतियां 12 बजकर 10 मिनट पर प्राप्त हुई, इसी कारण संवाददाताओं को उन्हें वितरित करने में विलम्व हुआ।

Shri Madhu Limaye: These questions were circulated only when I protested.

श्री आई० के० गुजराल : मेरे पास कुछ समाचारपत्र है, जिनमें ये प्रकाशित हुए है और अगर उन्हें जानकारी नहीं दी गई, तो वे प्रकाशित नहीं करते।

Shri Madhu Limaye: Sir, you had asked for the assurance, but he has said nothing about that.

श्री आई० के० गुजराल : प्रश्नों के उत्तर सामान्यत: 10 बजे प्राप्त होते हैं और उन्हें 12 बजे तक प्रेस कक्ष में रख दिया जाता है। कभी-कभी प्रश्नों के उत्तर कुछ विलम्ब से प्राप्त होते हैं और उन्हें 12 बजकर 10 मिनट अथवा सवा बारह बजे प्रेस कक्ष में रख दिये जाते हैं।

Shri Madhu Limaye: You may get the reply 12 hours before the question hour or the previous evening.

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार सदन के सभा-पटल पर प्रश्नों के उत्तर 12 बजे रखे जाने चाहिऐ। जब उत्तर 12 बजकर 10 मिनट पर प्राप्त हुए, तो उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ बिना सभा-पटल पर रखे हुए कैसे दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। यह समय योजना पर चर्चा के लिये निर्धारित था। इस योजना के अलावा अन्य विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

PAPERS LAID ON THE TABLE

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आंध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1968 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, अधिसूचनाएं तथा विवरण।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की

एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 398 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5604/73]।

(2) आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 239-टी2/70-34 राजस्व (टी) जो आंध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश ताड़ी उद्योग नियम, 1971 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5605/73]।

(3) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या क्यू 3/1812/72-1-I की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवृत्त स्टाम्प पूर्ति और वितरण नियमों में कतिपय संशोधन किये गये है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5606/73]।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

एयर इण्डिया में चोरी छिपे यात्रा करने की घटना सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : मैं 3 मार्च, 1973 को एयर इण्डिया में चोरी छिपे यात्रा करने की दुर्घटना सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5607/73]।

आन्ध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 के अधीन अधिसूचनायें और विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्‌घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 की धारा 217 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 100 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनमें ग्राम पंचायत द्वारा पशु शालाओं की स्थापना, रखरखाव सम्बन्धी नियम दिये हुए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) जी० ग्रो० एम० संख्या 174 जो ग्रान्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 9 ग्रगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे ग्रौर जिनमें ग्राम पंचायतों ग्रौर पंचायत समितिग्रों में सार्वजनिक/सरकारी नौघाटों के प्रबन्ध के लिये संयुक्त समिति के गठन, ग्रधिकारों ग्रौर प्रक्रिया सम्बन्धी नियम दिये हुए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5608/73] ।

(2) उपर्युक्त ग्रधिसूचनाग्रों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1971-72 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन ग्रौर समीक्षा

ग्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लिमिटेड कानपुर के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये प्रश्न सं० एल० टी० 5609/73] ।

भारतीय संग्रहालय भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम ग्रौर विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ग्रौर संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री ग्ररविन्द नेताम): मैं श्री डी०पी० यादव की ग्रोर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय संग्रहालय ग्रधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत भारतीय संग्रहालय भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 ग्रगस्त, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 898 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5610/73] ।

(2) विक्टोरिया मेमोरियल ग्रधिनियम, 1903 की धारा 5 के ग्रन्तर्गत जारी किये गये विक्टोरिया मेमोरियल हाल (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 ग्रगस्त, 1973 में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 897 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5611/73] ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखा गया ।

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE MINUTES—LAID

श्री एस० सी० सामन्त : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

96वां प्रतिवेदन प्रस्तुत

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE NINETY-SIXTH REPORT PRESENTED

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक राशि के व्यय के बारें में जैसा कि वर्ष 1971–72 सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल), (डाक तथा तार), (रेल) और (रक्षा सेवायें) में दिखाया गया है तथा लोक लेखा समिति के 49वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 96वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन–प्रस्तुत

COMMITTEE OF PRIVILEGES—FIFTH REPORT—PRESENTED

डा० हेनरी आस्टिन : मैं विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दीनेन भट्टाचार्य मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायगा ।

कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक--राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

COKING AND NON-COKING COAL MINES (NATIONALIZATION) AMENDMENT BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा पर विचार करेंगे ।

खण्ड 2 और खण्ड 3 के बारें में कोई संशोधन नहीं हैं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I had sent my name.

Mr. Speaker: Why don't you send in advance?

Shri Ramavtar Shastri: I had sent my name yesterday.

अध्यक्ष महोदय : जब खण्डों को मतदान के लिये रखा जाएगा, तब आप बोल सकते है। श्री सोमनाथ चटर्जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह अधूरे दिल से किया गया प्रयास है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे रिकार्ड की जांच से पता लगा है कि विचार प्रस्ताव कल पारित हो गया था । अब मैं खंडो को सभा में मतदान के लिये रखूंगा । यह तकनीकी मामला है । अब मैं खंड 2 और 3 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं । लेकिन अन्य खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है । अब प्रश्न यह है कि

"खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adapted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 2, 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने हमारे कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये हैं ।

जहां तक कोयला खानों के कार्य का सम्बन्ध है राष्ट्रीयकरण के बाद उनमें जैसा कार्य होना चाहिये था वैसा कार्य नहीं हुआ है ? कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव का वास्तव में कर्मचारियों ने समर्थन किया था । कोयला खान मालिक सरकार को सहयोग नहीं दे रहे हैं । अभी कुछ समय पूर्व इस बात की सूचना मिली है कि लगभग 2 करोड़ रुपये की मशीने गायब हो गई हैं और वे आसनसोल और काली पहाड़ी में पाई गई हैं । इस चोरी का पता कर्मचारियों के सहयोग से लगा ।

इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का एक कारण यह भी है कि पहले की प्रबन्ध व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य नहीं कर रही है और वे श्रमिकों के हितों की ओर भी ध्यान नहीं दे रही है । वे मजदूर बोर्ड की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं कर रही हैं और न्यायाधिकरणों से हुए समझौतों और निर्णयों को भी क्रियान्वित नहीं किया है । सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि राष्ट्रीय-करण के पश्चात् जो नया प्रबन्ध स्थापित किया गया है, यह छटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल नहीं कर रहा है जबकि न्यायाधिकरण ने उनके पक्ष में निर्णय दिया हुआ है । मजदूरी भुगतान अधि-नियम को भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है ।

वर्तमान अधिनियम में कुछ अधिनियम हैं जिनके अनुसार राष्ट्रीयकरण से पहले किये गये निर्णय या समझौते लागू नहीं किये जायेंगे । कुछ कोयला खानों में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित

नहीं किया गया है । क्या सरकार उनको कोयला खानों में क्रियान्वित करेगी ? वर्तमान विधेयक से मजदूरों की केवल कुछ मांगें पूरी होंगी ।

अब प्रस्ताव यह है कि भविष्य निधि, मजदूरी की बकाया राशि आदि जैसे कुछ शीर्षकों के बारे में कर्मचारियों को देय राशि निर्धारित की जायेगी और मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में मालिकों को दी जाने वाली राशि से उसे काटा जायेगा । इस बारे में हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि पहले उनको भुगतान कर दिया जाये और यदि इसमें काई कमी रहती है, तो सरकार को उस कमी को दूर करना चाहिये और मालिक से उस राशि को वसूल करने का प्रयास करना चाहिये । इस देय राशि को वसूल करने के लिये मजदूरों को कोयला खानों के मालिकों के पीछे भागने नहीं देना चाहिये । देय राशि को मालिकों से वसूल करना सरकार के लिये आसान होगा ।

गैर-कोककारी कोयला मिल मालिकों को दी गई मुआवजे की राशि 30 करोड़ रुपये है । मजदूरों की बकाया राशि का 10 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया है । उक्त राशि को वसूल करने तथा उसको मजदूरों को देने में क्या कठिनाई है ?

अनेक ऐसी कोयला खानें हैं जिनमें मजदूरों को अपनी नौकरी वापिस नहीं मिल रही है यद्यपि उनमें रिक्त स्थान हैं और नये मजदूरों की नियुक्तियां की जा रही हैं ।

राष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय खनन संघ के 7 अथवा 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है । इनमें से कुछ की नौकरी 20 और 30 वर्षों की थी । सरकार को इन मामलों पर विचार करना चाहिये ।

जहां तक विचार विमर्श का सम्बन्ध है अधिकांश मामलों में सी० आई०टी० यू० के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिये नहीं बुलाया जाता है । यह उचित नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में कोयले की कमी है । घरों में प्रयोग किये जाने वाले कोयले की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सामान्य जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं? यदि ऐसी हालत रही तो जनता का इससे विश्वास हट जायेगा । जन साधारण के दैनिक जीवन की इन आवश्यक वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को नौकरशाही की अनुमति नहीं देनी चाहिये । समुचित मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार को उत्पादन के अतिरिक्त वितरण पर भी ध्यान देना चाहिये । सरकार को इस संशोधन पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिये ।

कोन्कन तट पर यात्री नौवहन सेवाओं को बन्द करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* STOPPAGE OF PASSENGER SHIPPING SERVICES ON THE KONKAN COAST

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मुझे कोनकन तट पर यात्री नौवहन सेवाओं के बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य देना है ।

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री राजबहादुर : मैं वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं ।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen hours of the clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक पर खंडश: विचार करेंगे । श्री नरसिंह नारायण पांडेय ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): Sir, I support clause 4 and oppose all the amendments moved fflin this regard.

I would like to draw the attention of the Government towards Gorakhpur Labour Organisation which was recruiting labour for the various coalfields and other Government institutions. Now after the nationalization of the coal, C. R. O. has been disbanded. There is a huge amount of Rs. 26 lakhs due to the labourers from the CRO and the amount has not yet been paid. The funds pertaining to welfare schemes and provident fund are also due from CRO. The question is as to how this amount would be adjusted. The procedure adopted in this clause in regard to adjustment may benefit the labourers.

The former Minister, late Shri Kumarmangalam had given certain assurances to the members of Parliament regarding revival of Gorakhpur Labour Organisation and setting up of a Committee to consider the absorption of Gorakhpur labourers in Border Road Organisation. Nothing concrete has been done in this regard. The matter is being closed after forming a Committee. We want a categorical assurance regarding the fulfilment of the assurances given by the former Minister. Unless Government give it a shape of Central Labour Organisation, the record office should not be abolished, the funds of welfare schemes should not be reduced and 20 beded hospital should not be closed down.

If necessary, a parliamentary Committee may be constituted to study the entire situation in this connection. A Central Labour Organisation should also be constituted so that we may have a labour recruiting agency.

Shri R. V. Bade (Khargone): It has been proposed in clause 4 of this Bill that Commissioner will claim labourers money lying with the coal mine owners but I do not find any such provision in the Bill that labour union will have a right to claim that money. The Coalmines were nationalised with the object that coal will be provided to the people at cheaper rates. But we are having complaints from different parts of the country everyday that the factories and industries are being closed down due to shortage of coal. When we ask about the shortage of coal, the minister replies that there is no shortage of coal, but there are no wagons to carry coal, similarly when we ask about wagons then it is said that wagons are available but coal is not available to carry, there is no coordination between these two ministries.

The coal mine owners are having large amounts of money due to the labourers. This amount should be paid. Labour unions should be associated and they should be authorised to claim that money.

With these words I support the Bill.

Shri Damodar Pandey (Hazari Bagh): Sir, At the time when cocking coal nationalisation Bill was intrcduced I had given a suggestion that a provision should be made to pay the compensation to the coalmine owners after deducting the dues to be paid to labourers. That time this suggestion was not accepted. But now a provision to this effect has been made, therefore, I support the Bill. It has already been said that Rs. 26 lakh is due to the labourers from the Coal mine owners is a hard earned money of the labourers It should be paid to them. There are certain cases in which the amount of compensation is less then the amount required to be paid from the labourers. What arrangements government have made to realise this amount? There should be a provision in the bill in this regard.

There is a provision in the bill which empowers the commissioner to made claims on behalf of workers. But what about the payment of bonus. quarterly bonus and the wages of the workers etc? Who will realise these dues? Therefore, it should be provided in the Bill that not only the labourers but even the labour organisation or the labour unions will have the rights to claim the dues of labourers.

It has been said that the coal is dearer, it is not easily available. It is time that coal has not been supplied in adequate quantity after the nationalisation of coal mines. But it is also true that the production of coal has not gone down even after the acts of sabotage by the coal mine owners.

श्री डी० एम० तिवारी (गोपालगंज) : जनता को क्या लाभ है ? कोयले के दाम बढ़ गए हैं, कोयला लोगों को मिल नहीं पाता है ।

***श्री इ० आर० कृष्णन्** (सलेम) : आज देश को इस्पात और कोयले की कमी के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । कोयला उद्योग में कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इस कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है । मंत्री महोदय को ज्ञात होगा कि कोयले की कमी के कारण देश में 500 रेलगाड़ियाँ बन्द पड़ी हैं ।

यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि राष्ट्रीयकरण अधिनियम में कोयला खानों संबंधी विवरण गलत दिया गया था । इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय मंत्री महोदय को उपयुक्त जानकारी नहीं दी गई थी । इसी का परिणाम यह हुआ है कि सदन को इस संशोधन विधेयक पर चर्चा करनी पड़ रही है । मंत्री महोदय उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे जो मंत्रालय को इस स्थिति में लाने के लिए उत्तरदायी हैं ।

जब राष्ट्रीयकरण विधेयक पर सदन में चर्चा हुई थी तब सत्तारूढ़ तथा विपक्ष दोनों ही दलों के सदस्यों ने यह बात कही थी कि कोयला खान मालिकों की तरफ भविष्य निधि की कई करोड़ रुपये की राशि बकाया है । यह बात भी कही गई थी कि विधेयक में मालिकों को मिलने वाले मुआवजे से मजदूरों की भविष्य निधि उपदान तथा पेंशन की राशि के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिये । यदि सरकार ने उस समय इस बात पर ध्यान दिया होता तो हमें आज इस प्रकार के संशोधन विधेयक पर चर्चा करनी न पड़ती । 22 मार्च, 1973 को श्रम और रोजगार मंत्री श्री रघुनाथ रेडडी ने प्रश्न संख्या 59 के

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

उत्तर में यह बताया था कोयला खान मालिकों पर भविष्य निधि की 30 सितम्बर, 1972 को 11.76 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि कोयला खान मालिकों पर 6.70 करोड़ की बकाया राशि के 1505 मामले अनिर्णीत हैं।

सरकार को इस बात का है कि कोयला खान मालिकों ने कोयला खान कर्मचारियों के वेतन बोर्ड की बहुत सी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया और अनेकों कर्मचारियों को उनके वास्तविक अधिकारों से वंचित रखा गया। ऐसे कोयला खान मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है।

कुछ कोयला खानों को राष्ट्रीयकरण की सीमा से बाहर रखा गया। इसका क्या कारण है यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी त्रुटियों के कारण इस विधेयक को लाने की आवश्कता पड़ी अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : देश की लगभग 731 कोयला खानों में 1.50 लाख मजदूर कार्य करते हैं। जब कोयला मालिकों को मुआवजा देने की बात आती है तो मस्तिष्क में यह बात आती है कि जिन लोगों ने 18 वर्ष तक श्रमिकों का खून चूसा है उन्हें मुआवजा किस प्रकार दिया जाये। क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक परम्परा है अतः हमने मुआवजा देने का ही निर्णय किया है।

वर्ष 1939 में कोयला खान समिति ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया था। इस कार्य के लिए स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम धन्यवाद के पात्र हैं।

श्रमिकों के मामलों के दावों के लिए भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार दिया गया है। मैं भी श्री दामोदर पांडे की विचारधारा से सहमत हूं कि मजदूर संघों को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए गोरखपुरी मजदूरों की दशा के बारे में कहा गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से कोयला खानों तथा इस्पात कारखानों में इन मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी है। इन की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें।

कोयला खानों में मजदूरों की सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। सुरक्षा तथा खानों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की व्यवस्था है। इस परिषद की विकास नहीं किया गया है? मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस परिषद का विकास प्रचार संगठन की पद्धति पर किया जाये खान सुरक्षा महानिदेशक के शाखा कार्यालय के रूप में नहीं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I rise to support the Bill before the House. It will provide certain facilities to the workers of the coal mines. I agree with Shri M. N. Pandey and demand that labour centre in Gorakhpur should not be closed. Assurance given by the late Shri Kumaramangalam should be fulfilled.

So far as my amendment is concerned I have demanded that "at every mine colliery and also at Board of Director's level there shall be elected representatives of the workmen who in addition to jointly working after the management of the nationalised mines will help the management to scrutinise the workers claims on previous owners on account of wages, provident fund, gratuity, earned leave wages or any other such claims before referring to the commissioner", should be inserted after line 19 on page 3. It is an important amendment and Government should accept it.

I am not against the concept of nationalisation but I personally feel that due to the defective policies of the Government there has been a fall in production of coking coal. I want to know the figures relating to the production in the month of April, May, June and July.

I would like to invite the attention of the Government to the non-availability of necessary equipment to the workers of coal mines resulting in fall in the production. I also demand that recognition should be given to the Trade Union which represents most of the workers. I hope Government would accept my amendment which is in the interest of the workers.

Shri Ramsingh Bhai Verma (Indore): When the Bill on Nationalisation was brought in the House during the last Session. I moved an amendment demanding payment of compensation to the mine owners after deducting the amount payable to workers. But Government did not accept that amendment although they had to move the same amendment the next day.

It is a matter of great concern that Government could not take any notice of the irregularities amounting to misappropriation of Rs. 50 crores committed by the coal mine owners. How is it that the rules and regulations laid down by the Government are not followed by private sector in the country.

I would also like to point out that the production has not been in commensurate with the expenditure incurred on the coal mines. Not only has the employment decreased, it has been observed that to avoid the payment of provident fund, gratuity and bonus to the workers mine owners do not put the names of workers on their pay rolls. Number of accidents has increased and the workers have not been equipped with the necessary things. After nationalisation it has become the duty of the Government to provide all these things to them for their safety.

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह बातें महत्वपूर्ण हैं तथापि इनका प्रस्तुत विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Ramsingh Bhai Verma: Since this department is new for the hon. Minister I want to bring it to his notice that the owners of the coal mines have been exploiting the workers. In the absence of necessary equipments poor workers die and nobody bothers for them. Electric lamps have not been provided in the mines. I also demand that the right to appeal should also be provided in it.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol): The purpose of bringing this amending Bill is to remove certain defects left in the Act of 1972. An amount of Rs. 11.76 crores payable to the workers in the form of Provident Fund could not be recovered from the owners of the coal mines. I support the proposal of appointing a commissioner to recover the same amount.

In view of the fall in production after nationalisation Government should give special attention to the welfare of the workers. The prices of coal should also be fixed to ensure it proper distribution on reasonable prices.

Shri R. N. Sharma (Dhanbad): I welcome the coking coal and non-coking coal mines nationalisation (Amendment) Bill which would certainly give some relief to the workers.

As the Hon. Minister has said that Provident Fund of the workers amounting to Rs. 11.67 crores is still due from the owners of coal mines. Most of the coal mine owners did not pay wages and allowances to the workers. The fact is that the amount payable to the workers is much more than the amount of compensation decided to be given to owners.

Regarding the recovery of all the dues from the owners I would like to suggest that the Provident Commissioner should be assigned the work of collecting only provident fund dues and the other dues should be recovered with the help of the various organisation of the workers.

It is quite strange that Railways say that they are short of adequate coal supply while the fall in the production of coal is attributed to non availability of wagons. Actually all the departments are collectively responsible for the development of the country and with such argument no department can shirk their responsibility.

Today there is commotion in industries. Government officials are not realizing their responsibilities. Like other Public Sector industries non-coking coal mines authority and Bharat Coking Coal are getting top heavy administration. Unless immediate steps are taken, the Public Sector will earn bad reputation.

With these words, I support the Bill.

श्री पी० एम० मेहता : मैं इस विधेयक का तथा इसमें लाये जाने वाले संशोधनों का समर्थन करता हूं। वर्ष 1972 में जब सभा में मुख्य विधेयक लाया गया था तब माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। परन्तु सत्ता के अहंकार में डूबी इस सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया था।

धारा 4 में व्यवस्था है कि कोकिंग कोयला खानों से संबंधित प्रथम अनुसूची के अनुसार ब्याज, बोनस, मजूरी आदि का हक केन्द्रीय सरकार को स्थानान्तरित किये जायेंगे, धारा 5 में व्यवस्था है कि कोक भट्टी संयत्र के मालिकों के अधिकार, हक तथा हित केन्द्रीय सरकार को सौपे जायेंगे। धारा 12 में धनराशि का भुगतान करने की व्यवस्था है।

मुख्य अधिनियम कालम 5 के अनुसूची 1 में यह निर्दिष्ट है कि सरकार खानों के मालिकों को कितना रुपया देगी। मुख्य विधेयक पर बहस के दौरान हमने यह शंका उठाई थी कि इस राशि का निर्धारण तर्कसंगत आधार पर नहीं हुआ है और सरकार ने इसका निर्धारण मनमाने ढंग से किया है। उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ पक्षपात किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निर्धारित धनराशि का प्रश्न पुन : उठा रहे हैं।

श्री पी० एम० मेहता : ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब सरकार के ध्यान में यह बात लानी है कि उन्होंने स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने उन कृपापात्रों को अच्छी खासी रकम दी है जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को चुनाव के लिए काफी धन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह किस प्रकार इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री पी० एम० मेहता : जैसे कि स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम ने बताया था कि इस धनराशि का निर्धारण वास्तविक परिसंपत्ति के आधार पर किया जायेगा। परन्तु सरकार ने बर्ंदेमों को 23 32 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जबकि उनकी परिसंपत्ति 15 लाख रुपयों को थी।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका विधेयक से कोई संबंध नहीं है ।

श्री पी० एम० मेहता : इसका संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके पूरे ब्योरे पर जा रहे हैं कि प्रत्येक खान मालिक को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है, यह असंबद्ध है, मैं नहीं समझता कि भुगतान आयुक्त को दिए गए अधिकार से इसका कोई संबंध है ।

श्री पी० एम० मेहता :–मैं केवल दिए गए मुआवजे की प्रतिशतता बताऊंगा बुर्रदेमो–155 प्रतिशत ; बोनजनहेरी–29 प्रतिशत; खस जंबद–6 प्रतिशत ; हिंगिर रामपुर–60 प्रतिशत ; स्वदेशी माइनिंग–54 प्रतिशत; न्यूटनचिकली ईस्ट निमचा मधाजोर–125 प्रतिशत; के० बोरहा ग्रुप ने सत्तारूढ दल को डिडिगुल चुनावों के लिए अच्छा खासा धन दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन सब तथ्यों की जांच करें, इन खानों का उत्पादन राष्ट्रीयकरण के उपरांत काफी गिर गया है। मूल्यों में वृद्धि हो गई है और कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye: Had the Government taken careful consideration at the time of passing the Bill then such situation would not have taken place. Whenever we advise the Government to send the Bill to Select Committee, then they oppose. The Government should have studied the difficulties of the workers before taking resort to nationalization. Now there is no provision in the Bill regarding the payment of arrears of Workers.

As loopholes are left in the Bill so whether you will give ruling that all important Bills should be sent to the Select Committee or Joint Committee for consideration?

Secondly, this ruling party is so adamant that they do not give consideration to the amendments given by the opposition. This has happened with Criminal Procedure Code, Coking Coal Mines and other Bills.

The opposition gave a number of amendments to the Bill pertaining to nationalization of banks*but they were overlooked. Today we are seeing the poor performance of the Banks.

The Hon. Minister should give assurance that every amendments given by the opposition will receive due consideration.

The Government should go through every aspects of the problems of industry before nationalizing it. Only then the Bill will benefit the workers and the country.

Lastly, the Government did not take into consideration all the aspects of distribution at the time of nationalizing coking mines and coal mines. The Hon. Minister himself admitted his mistake that by cutting down the quota for small industries, a considerable saving will take place. But instead of saving the

Small Industries faced great hardships like closure of industries and unemployment of workers.

With these words, I will request the Hon. Deputy Speaker to ask the Government to send all the important Bills to the Select Committee for secrutiny.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस ग्राम सिद्धान्त को स्वीकार करूंगा कि जल्दबाजी में किए गए कार्य से कोई लाभ नहीं होता है, यह विधेयक इसका उदाहरण है। मैं श्री मधु लिमये के इस कथन से सहमत हूं कि हमारी महान जिम्मेदारी है। यह विधेयक हजारों व्यक्तियों से संबंध रखता है इसलिये इसका सावधानीपूर्वक ग्रध्ययन किया जाना चाहिए। यदि हम जल्दवाजी करेंगे तो उससे परेशानी में ही पड़ेंगे ग्रौर कोई बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्य जागरूक ग्रौर परिश्रमी हैं।

श्री टी० ए० पै : इस संशोधन का समर्थन किए जाने के लिए मैं माननीय सदस्यों का ग्राभारी हूं। यह शिकायत की गई है कि मुख्य विधेयक पर दिए गए संशोधनों को उस समय सरकार ने ग्रस्वीकार कर दिया था ग्रौर ग्रब काफी विलम्ब के उपरान्त सरकार यह संशोधन लाई है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब गैर कोंकिग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब इन उपबंधों को इसमें शामिल किया गया था, ग्रब सरकार इस समय उनमें संशोधन लाना चाहती है तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जांच करने के उपरान्त यह पता चला है कि कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा ग्रन्य बकाया राशि काफी मात्रा में दी जानी है, ग्रब चूंकि भुगतान ग्रायुक्त की नियुक्ति की गई है इसलिए इसमें संशोधन लाया जा रहा है ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय किया जा सके।

मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले से ही सभी पहलुग्रों की जांच करना वांछनीय होगा क्योंकि विशेषकर यदि ग्राप इस मामले में ग्रांकड़ों को देखे तो पता लगेगा कि कोककारी खानों में भविष्य निधि के रूप में मालिकों की ग्रोर 6 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ग्रौर दूसरी कोयला खानों में 10 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। कम से कम रालयटी के मामले में यह राशि इस ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत 10 करोड़ रुपये ग्रौर दूसरे ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत 20 करोड़ रुपये होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ग्रपराधियों को पकड़ों ग्रौर जेल में डाल दो। परन्तु खान मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है कुछ मामलों में वे सीमित कम्पनियां हैं

मैं यह बताने में ग्रसमर्थ हूं कि क्या स्थिति होगी। हमने इस ग्रधिनियम के ग्रधीन 16 करोड़ रुपये का मुग्रावजा ग्रौर दूसरे ग्रधिनियम के ग्रधीन 40 लाख रुपये जो व्याज के रूप में 56 लाख रुपये होगा, प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय ग्रादि के लिए देने का निर्णय किया है, ये सब वैयक्तिक देयताएं हैं जिनका भुगतान किया जाना है। भविष्य निधि संविधिक देयताग्रों ग्रादि के रूप में कर्मचारियों को देय देयताग्रों की कटौती की जाएगी ग्रौर कम्पनी की किसी प्रतिभूत ग्रौर ग्रप्रतिभूत देयताग्रों की ग्रपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। पंचायत के बारे में जो प्रश्न पूछे गए उनके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यदि कोई ऐसे करार हैं जिन्हें समान रूप से लागू किया जाना है ग्रौर वादे पूरे नहीं किए गए हैं, यदि किन्हीं घोषित बोनसों की ग्रदायगी की जानी है, यदि वे ऐसा नहीं करते तो सभी मजूरी के ग्रंतर्गत ग्रायेंगे ग्रौर किसी भुगतान किये जाने से पूर्व उनकी कटौती की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : राष्ट्रीयकरण के समय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष जो कार्यवाही विचाराधीन थी उसका क्या होगा ?

श्री टी० ए० पाई : यदि वे इस क्षेणी के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जायेगा ।

माननीय सदस्यों से अपने संशोधन पर पुनः विचार करने की अपील करता हूं तथा मैं श्रीरामावतार शास्त्री का संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं । उन्होंने प्रबन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लियें तर्क दिया है। सरकार की यह नीति है और हम देखते है कि शनैः शनैः कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो । हमारी एक मजूरी के बारे में बातचीत करने सम्बन्धी समिति है । मुझे आशा है कि वह प्रतिनिधित्व की किसी प्रकार की व्यवस्था कर सकेगी ।

अन्य सदन में मुझे सुझाव दिया था जिसे मैंने स्वीकार किया है । मैंने कहा है कि कार्यकारी आदेशों के द्वारा मजदूर संघों को कर्मचारियों की ओर से दावों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन देने की अनुमति हो जायेगी । मुझे आशा है कि किसी भी कर्मचारी को अपनी देयता साबित करने और पैसा लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री के० डो० मालवीय (डुमरियागंज) : वे उसे किस प्रकार वसूल करते हैं ?

श्री टी० ए० पाई० : भुगतान आयुक्त यह निर्णय करता है कि उन्हें क्या देय है और क्या नहीं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी मजदूर संघ न्यायालय में जाकर कार्मिक की मजूरी का दावा कर सकता है । वैसा उपबंध इस अधिनियम में शामिल क्यों नहीं किया जाये ।

श्री टी० ए० पाई : बहुत से मजदूर संघ हैं । हम उसे शामिल करना संभव नहीं समझते ।

श्री के० डी० मालवीय : क्या श्रमिकों के दावे मुआवजा कोष के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री टी० ए० पाई : मुआवजा कोष में से श्रमिकों को देय सभी राशियों की पूर्ववर्तिता रहेगी ।

गोरखपुरी श्रमिक संगठन की कठिनाइयों को मेरे समक्ष रखा गया है । बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि मुझसे पहले वाले मंत्री महोदय ने सभा में कुछ वचन दिये थे कि उनकी समस्याओं की जांच की जायगी । निश्चय ही मैं उनके वचनों को पूरा करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक समस्या है । मैं देखूंगा कि उनके लिये क्या किया जा सकता है ।

मेरे समक्ष जिस अन्य समस्या का उल्लेख किया गया वह कोलमाइन्स एसोसियेशन के सात कर्मचारियों के सम्बन्ध में है । मुझे यह तो मालूम नहीं है कि एसोसियेशन का वास्तविक कार्यकरण क्या है परन्तु हमने उन 30,000 से अधिक कर्मचारियों को कोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय के दौरान नौकारियां दी जो भविष्य निधि आयुक्त के यहां पंजीकृत थे । मैं यह देखूंगा कि उन सात व्यक्तियों को किस प्रकार खपाया जाये । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जब हम उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो यदि वे उपयुक्त पाये गये तो उनकी पूर्ववर्तिता रहेगी । मैं यह कोई वचन नहीं देता कि उन्हें खपाया जायेगा ।

दूसरी बात यह पूछी गई कि राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद कोयले के उत्पादन में गिरावट क्यों आई? राष्ट्रीयकरण के बाद के उत्पादन के ढंग में काफी परिवर्तन आया। तापीय बिजली घरों की आवश्यकताएं वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में तापीय बिजली घरों की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये लगभग 19 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता थी। यदि इस्पात उद्योग के 14 मिलियन टन के लक्ष्य को सुनिश्चित करना है तो कोककारी कोयले का उत्पादन 28 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा।

इसके अतिरिक्त 1968 और इस समय के बीच 'सोफ्ट कोक' का उत्पादन 3.5 मिलियन टन से कम होकर 2.5 मिलियन टन रह गया क्योंकि इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि 'सोफ्ट कोक' का उत्पादन 2.5 मिलियन टन से बढ़ा कर 4 मिलियन टन कर दिया जायेगा जिससे देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी परन्तु अभी भी हमारे पास समस्याएं हैं।

पांच वर्षों में उत्पादन को 70 मिलियन टन से बढ़ा कर 140 मिलियन टन करना एक बहुत बड़ा प्रयास है। रेलवे पर ही परिवहन के लिये निर्भर करना पर्याप्त नहीं है अत: हमने योजना आयोग और परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जहां तक संभव हो लम्बी दूरी वाले स्थानों के लिय कोयले की ढुलाई के लिय तटवर्ती नौवहन और अन्तर्देशीय जलमार्गों का उपयोग किया जाये। हमने सहलग्नता समिति के माध्यम से विशेष बिजली उत्पादन संयंत्रों और कोयला क्षेत्रों के बीच सहलग्नता स्थापित की है ताकि बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई न रुके।

मेरे माननीय मित्रों ने लघु उद्योगों, विशेषकर फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की कठिनाइयों का उल्लेख किया। हमने छ: रेकों को भेजने का प्रयास किया और वे भेजे भी गए परन्तु वे कुछ ही व्यक्तियों को मिले हैं और कुछ व्यक्ति सारा स्टाक एक जगह जमा करने में सफल हो गए हैं। मुझे इस मामले की जांच करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वितरण कार्य में राज्य सरकार को भी शमिल किया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai: It was sent only to the Speaker who have got it.

श्री टी० ए० पाई : जैसे तैसे कोयला सभी को नहीं मिला, कुछ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है, मैं इसका समान वितरण सुनिश्चित करूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में 36 **विपक्ष में** 104

Ayes 36 *Noes* 104

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 तथा 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos 3 and 4 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): I have moved this amendment for associating the elected representatives of the employees and workers with the Provident Fund Commissioner so that all the claims for Provident Fund arrears can be filed. I hope the Hon. Minister would accept this amendment.

श्री टी० ए० पाई : इस संशोधन को स्वीकार न किये जाने का सीधा सा कारण है और वह यह कि चुनाव करना होगा और एक कर्मचारी को चुनना होगा जबकि बहुत से मजदूर है तो मैं यह नहीं चाहता कि उनमें और अधिक संघर्ष हो ? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

इसके पश्चात् खण्ड 6, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र में और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 6, clause 1, the Enacting Formula and the Title were then added to the Bill.

श्री टी० ए० पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): This Bill is welcome, but it relates only to the realisation of Provident Fund dues. The workers have also to get their dues of gratuity bonus, pay etc. I want that all the registered unions should be given the right to file claims on behalf of the workers.

It has been said that compensation will be withheld to pay off the dues of the workers. But that money will not be sufficient, because major portion of compensation has already been paid. It has been said that after taking over their property and after selling that property, the dues will be paid off. It is not proper. The Government should give the remaining portion of the workers dues out of the profit of the mines that has been taken over or they should make a separate provision for this purpose.

The condition of the Gorakhpuri labourers is very bad. They are treated like prisoners. Inferior quality of food is given to them. Efforts should be made to ameliorate their conditions.

The prices of coal have almost doubled after nationalisation and inspite of high prices the coal is not available in adequate quantity. The coal should be made available to the consumer at fair price and in adequate quantity. The small scale industries and bangle industry in Ferozabad have been affected.

This Bill is good in spirit and it should be implemented honestly. The officers in coal mines should be technical experts so that work can be done well.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): यद्यपि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तथापि पुराने खान मालिकों जो देश को लूटते थे, की भावना अब भी वही है । सब जगह गड़बड़ है । उत्पादन में गिरावट आ गई है । वितरण व्यवस्था में भी गड़बड़ है ।

राष्ट्रीयकृत खानों से अफसरशाही को समूल समाप्त करना होगा । कोयला खान प्राधिकरण ने वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इन्कार कर दिया है ।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि मुआवजे की राशि में से श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि अभी तक वे प्रत्येक खान में खनिकों के राजिस्टरों की पूर्णतया जांच नहीं कर पाये हैं ताकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जो खनिक वास्तव में काम कर रहे थे उन्हें उनका रोजगार और बकाया राशियां मिल सके । मंत्री महोदय इसकी जांच करें ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : राष्ट्रीयकरण के पश्चात मैंने गुजरात में कोयले की भारी कमी पाई है । मेरे कस्बे में कई श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई है । मंत्रालय को सर्व प्रथम कोयले की पर्याप्त सप्लाई की ओर ध्यान देना है ।

यह अफसोस की बात है कि राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद बिहार की कोयला खानों के 5,000 श्रमिकों की, बिना उनके किसी कसूर के, छटनी कर दी गई । या तो उन्हें उन्हीं खानों में वापिस लिया जाये या वैकल्पिक रोजगार दिया जाये ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात कुछ खानों में पेंशन बंद कर दी गई है । प्रबन्धक वर्ग ने श्रमिकों की मांगों की कोई सुनवाई नहीं की । प्रबन्धक वर्ग द्वारा इसे ठीक किया जाना चाहिये ।

समुद्र से कोयले का परिवहन तब तक महंगा पड़ेगा जब कि उसे राज सहायता नहीं दी जाती है । मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें ।

श्री टी० ए० पाई : मैं कुछ बातों का पहले ही उत्तर दे चुका हूं । मैं जानता हूं कि गुजरात में भारी कमी है । हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि परिवहन दरों की एक प्रणाली बनाई जाये जो सभी के लिये उचित हो ।

ईंट बनाने के कोयले तथा सोफ्ट कोक को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोयले के दर उचित हैं मैंने केवल इतना ही कहा कि दर उंचे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव

MOTION REG. APPROACH TO THE FIFTH PLAN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पांचवी योजना के दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगामी चर्चा करते हैं ।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : पांचवी योजना का दृष्टिकोण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है । इसमें कहा गया है कि योजना के दौरान जनसंख्या का 50 प्रतिशत अर्थात लगभग 22 करोड़ लोगों की उपभोग क्षमता 50 प्रतिशत बढ़ जायेगी । यह कहा गया है कि यह उपलब्धि उच्च वर्ग के 30 प्रतिशत जनसंख्या के 5 प्रतिशत उपभोग को घटा कर प्राप्त होगी । अभिजात वर्ग के समाज के उपयोग और व्यय को 5 प्रतिशत बल्कि उससे भी अधिक सीमा तक घटा दिया जाना चाहिये क्योंकि वे देश की गरीबी के विश्पल समुद्र में एक छोटे से द्वीप के समान है ।

ग़रीबी हटाने के कार्यक्रम की ओर पहली किसी भी योजना में इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया जितना कि इस योजना में दिया गया है।

इस योजना में मूल आवश्यकता और रोज़गार दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है । यह आशा की जाती है कि इस योजना में लोगों की मूल आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा ।

जिस दूसरी बात पर जोर दिया गया है, वह रोज़गार है । हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार समय पर, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये)

(Shri K. N. Tiwary in the Chair.)

मंत्री महोदय कहते हैं कि पांचवी योजना की मात्रा कठिन है । हमें योजना को सही रूप से क्रियान्वित करना चाहिये ।

इस देश में नौकर शाही है, ऐसा प्रशासन है जो केवल वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है अर्थात उतना व्यय करना जितने का योजना में उपबंध है। यह कार्य नहीं देखा गया कि भौतिक लक्ष्य वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप भी हैं।

चौथी योजना के दौरान उत्पादन बहुत कम रहा। हमारा उत्पादन दर पाकिस्तान से भी कम रहा। उत्पादन में कमी का कारण नीति में उलट फेर करने और क्रियान्वयन में धीमी गति है।

योजना मंत्री का यह कहना ठीक है कि मुद्रा स्फीति पांचवी योजना के उद्देश्यों और सामरिकना के अनुरूप है। आखिर इसे कैसे रोका जाये ?

व्यापारिक बैंकों के ऋण समाज के आवश्यक कार्यों पर व्यय किया गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? देश की समस्त अर्थ नीति बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में वास्तविक ऋण नीति क्यों नहीं रह सकी है। सरकार समाज अर्थ व्यवस्था के लिए योजना नहीं बनाती। वे केवल सरकारी क्षेत्र के लिये योजना बनाती है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था हमें अधिक दूर नहीं ले जा सकती। इसके बदले में हमारी सरकारी योजना और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये होनी चाहिये तथा उसमें प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा उसे सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिये।

इस योजना के दृष्टिकोण के अनुसार हम मुख्य क्षेत्र पर जोर देंगे। लेकिन इस मुख्य क्षेत्र को अब मजबूत कैसे किया जा सकता है जिससे अब तक इतना जोर देने पर भी मज़बूत नहीं बनाया जा सका। यह आवश्यक है कि मुख्य क्षेत्र को लागू किया जाए।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के रोजगार लक्ष्यों का क्या बना ? निस्सन्देह सरकारी क्षेत्र में रोजगारों की संख्या बढ़ी लेकिन रोजगार के लिये उपलब्ध लोगों की संख्या के अनुसार नहीं। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगारों की संख्या घट रही है।

औद्योगिक गृह बढ़कर 75 से 93 हो गये है। अन्तर बढ़ता जा रहा है और एकाधिकार भी बढ़ रहा है। हमें एकाधिकार गृहों से हटकर कृषकों की ओर जाना होगा, जो कि देश के स्तम्भ हैं।

कला छत एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था बन गयी है जिसे समाप्त किया जाना चाहिये। सौ रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया जाए। चोर बाजारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। युक्तियुक्त आयात नीति के लिये हमें समूचा समझौता करना चाहिये। हमें सामाजिक प्राथमिकता को बनाए रखना चाहिये। बेकार क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। विदेशी पूंजी और लाभ के बाहर जाने को रोका जाना चाहिये।

यदि हम योजना को लागू करना चाहते हैं, हमें समूची नौकरशाही का पुनर्गठन करना चाहिये।

पांचवी पंचवर्षीय योजना भारतीय जनता की क्षमता पर अनुकूल विश्वास रखने पर आधारित है। योजना को सफल होना चाहिये। हम इसकी असफलता सहन नहीं कर सकते।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर): योजना दृष्टिकोण पत्र में कृषि को आधार केवल निर्वाह के लिये नहीं माना है वरन् औद्योगिक विकास के लिये भी इसे आधार माना है। योजना के नियतन में कृषि की उपेक्षा करना एक गलती थी। चौथे योजना में कृषि के लिए 20.7 प्रतिशत के परिव्यय का उपबन्ध किया गया था, परन्तु इस योजना में इसे एक प्रतिशत हटा दिया गया है इसे 30 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिये।

कृषि पर कोई कर और नियंत्रण नहीं होने चाहियें। यह विचार त्याग दिया जाना चाहिये कि कुछ लोग अधिक पैदा करके मालदार हो रहे हैं अतः उनकी निन्दा की जानी चाहिये। छोटे किसान बाजार में इस कारण अधिक माल नहीं बेच सकते क्योंकि स्वयं उनकी आवश्यकता ही इतनी है। केवल बड़ा किसान ही अधिक पैदा करके लोगों को दे सकता है।

एक ओर कृषि के क्षेत्र में उत्पादन-लागत बढ़ती जा रही है दूसरी ओर कृषि-उत्पादन की कीमत आप कम करना चाहते हैं। यह कैसे संभव होगा ? मैं चाहता हूं कि कृषि के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया जाये। जो राज सहायता सरकार इस समय उपभोक्ता को दे रही है, वह उत्पादकों को दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो देश में पर्याप्त अन्न पैदा होगा। कृषि के लिए नियत राशि योजना परिव्यय का 19.7 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत की जानी चाहिए। कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में विद्युत सहायक होती है। अतः इसके लिए नियतन की राशि बढ़नी चाहिए। देश की आवश्यकतानुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत का उत्पादन कम से कम दुगुना होना चाहिए। गत 25 वर्षों में इस उद्योग में पूंजी प्रस्तावित पूंजी से अधिक लगाई गई किन्तु उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में 35 प्रतिशत की कमी रही। स्वायत्तशासी बिजली बोर्डों का कार्यकरण भी सफल नहीं रहा है। उन में से अधिकांश घाटे में चल रही हैं। हमारे यहां के पारेषण और वितरण के दौरान भी विद्युत अधिक नष्ट होती है। यूरोपीय देशों में 5 प्रतिशत बिजली नष्ट होती है जब कि हमारे यहां 18 प्रतिशत नष्ट होती है। इसमें एक प्रतिशत की बचत करने पर 5 करोड़ रुपये की बचत होती है। सब से बड़ी कमी यह है कि हमारे यहां इस उद्योग में लगे कर्मचारी भलीभांति प्रशिक्षित नहीं हैं और इसी कारण उनमें कार्यकुशलता नहीं है। उनमें कुशल कार्यकरण के लिए विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उनमें कर्मचारियों की संख्या कम की जानी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि योजना सैल में उपयुक्त कर्मचारी रखे जायें जो यह देखें कि देश में विद्युत-उत्पादकों और विद्युत वितरकों में उचित समन्वय बना रहे।

योजना में एक कमी यह भी है कि वायु दूषण का उसमें उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया गया है। औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति के साथ-साथ वायु-दूषण के लिए निरोधक उपाय भी किये जाने चाहिएं। योजना दस्तावेज में कार्यकुशलता पर तो बल दिया गया है किन्तु ईमानदारी और सच्चरित्रता का उल्लेख भी नहीं किया गया। योजना प्रारूप में यह भी एक कमी है। आज हमारे देश की प्रगति में बेईमानी और अकार्यकुशलता बहुत बड़ी बाधाएं हैं। मैंने प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि सचिवालय का पुनर्गठन होना चाहिए। किन्तु यह सिफारिश कहीं भी लागू नहीं की गई। सचिवालय में यूनियन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इससे कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक मिलता है उससे मुझे कोई द्वेष नहीं है। परन्तु मैं चाहता हूं कि ये लोग ईमानदारी से कुशलतापूर्वक कार्य करें। समयोपरि भत्ते की समस्या का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका 90 प्रतिशत बिना काम किये लिया जाता है अथवा यह झूठे आधार पर लिया जाता है। इसीलिए हमने समयोपरि भत्ते को सीमित करने की सिफारिश की थी। प्रशासनिक कार्यकुशलता की बात सब करते हैं किन्तु उसे लागू कहीं भी नहीं किया जाता।

(श्री ईरा सेझियान पीठासीन हुये)

(Shri Era Sezhiyan in the Chair.)

इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं। पदोन्नति और वेतन आदि का सम्बन्ध कार्य निष्पादन से जोड़ा जाये। सभी सरकारी संस्थानों में इस सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिए। एक सरकारी संस्थान को जितनी आय हो, उसी के अनुसार उसके कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान दिया जाये। प्रत्येक मंत्रालय, सरकारी उपक्रम में कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन होना चाहिये ताकि उसके कार्य निष्पादन के आधर पर उसकी पदोन्नति और वर्तमान वेतन बनाये रखने के बारे में निर्णय किया जा सके। आज किसी के कार्य के परिणामस्वरूप चाहे जितना घाटा हो, उसे वेतन आदि यथावत् मिलता रहता है। हमारे प्रशासनिक ढांचे का यह एक बड़ा दोष है।

प्रायः नौकरशाही पर दोष मढ़ा जाता है। मेरे विचार से बात ऐसी नहीं है। यदि मंत्री स्वयं बुद्धिमान और ईमानदार तथा कार्यकुशल हैं तो शेष सभी कर्मचारी कार्यकुशलता और ईमानदारी से कार्य करेंगे। यह मेरा व्यक्गित अनुभव है। योजना निर्माताओं को ऐसा करने का साहस करना चाहिए जिससे पदोन्नति और भावी अवसर कार्य निष्पादन से सम्बद्ध हो जायें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : श्रीमान्, देश में आर्थिक खुशहाली सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का एक प्रभावपूर्ण तरीका है। किन्तु श्री डी० पी० धर की योजना दुर्भाग्य-पूर्ण रही है। इससे गरीबों की और भी अधिक दुर्दशा हो रही है। इससे सरकार की मशीनरी पंगु हो गई है। जनता का विश्वास अब सरकार से उठ गया है। आम जनता में निराशा छा गई है।

पिछले 25 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया; हमारी योजना को कितनी सफलता मिली। एक वर्ष में मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ गये हैं। बेरोजगारी में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रुपये की कीमत 75 प्रतिशत घट गई है। आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत घटती जा रही है। आजकल गरीबो के स्तर के नीचे रहने वालों का प्रतिशत 53 है और पांचवीं योजना के अन्त तक यह प्रतिशतता बढ़ कर 70 से भी अधिक हो जायेगी। हमारे यहां प्रगति दर जोरों पर पहुंच गई है। हमारे योजनाकारों को यह समझ लेना चाहिए कि वे वर्तमान योजना बना कर देश में योजनाबद्ध अस्त-व्यस्तता और अराजकता ला रहे हैं। आज जो योजना बनाई जा रही है उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस पर राजनीतिक और नौकरशाही का प्रभाव आवश्यकता से अधिक है और वह आवश्यकता से अधिक केन्द्रीयकृत है। इसमें आम जनता का कोई योगदान नहीं है। इससे आर्थिक विषमता बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। इससे क्रांति का मार्ग साफ हो रहा है। आज देश पर जो आर्थिक संकट आया हुआ है, इसके लिए हमारी योजना अथवा योजना आयोग जिम्मेदार है। यह संकट नीतियों और कार्यक्रमों का संकट है। हमारे योजना मंत्री अपने कार्य में पूर्णतः विफल रहे हैं। योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान विद्यमान आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों से जोड़ा जाये।

''योजना-अवकाश' (प्लान होलीडे) को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। किन्तु हमारे योजना मंत्री श्री धर देश पर 'योजना अवकाश' थोपना चाहते हैं। वे इस आशय के संकेत कई बार दे चुके हैं। शुरू में योजना आयोग बड़े बड़े लक्ष्य रखता है किन्तु बाद में उन्हें कम करता जाता है। इस प्रकार देश में धीरे-धीरे योजना अवकाश लाया जा रहा है।

विकास के नाम पर संसाधन जुटाये जाते हैं किन्तु उन्हें अनुत्पादक एवं गैर योजना मदों पर बर्बाद कर दिया जाता है। केन्द्रीय बजट में सरकार ने 75 करोड़ रुपये का घाटा बताया किन्तु

चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में ही वह बढ़ कर 380 करोड़ हो चुका है। इससे ही पता लगता है कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है ? मुद्रा स्फीति और मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। मुद्रा स्फीति सुनियोजित विकास का सब से बड़ा शत्रु है। आज आवश्यकता ऐसी योजना की है जिससे मूल्य स्थिर हो जाय। इससे मुद्रा स्फीति में भी वृद्धि नहीं होगी। अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा ?

सरकार को पूंजी निवेश उतना ही करना चाहिए जितना कि वह बचा पाती है। घाटे की अर्थव्यवस्था भी चिन्ता का विषय है। आज देश में जो नियंत्रण लागू हैं, उनसे समाजवाद आने वाला नहीं है। नियंत्रण से लाभ उन्हें होता है जिनके पास पहले से ही अधिक है। ऐसे कानून समाप्त किये जाने चाहिए जो उत्पादन में बाधक हैं। योजना में, सिंचाई और विद्युत तथा उपभोक्ता माल तैयार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

चौथी बात यह है कि उद्योग अथवा कृषि में बेकार पड़ी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के कारखानो में अभी तक अधिष्ठापित क्षमता का 30 प्रतिशत प्रयोग किया गया है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है अभी तक 40 प्रतिशत साधनों का उपयोग किया गया है जहां तक मितव्ययता का संबंध है मुझे शक है कि सरकार 25 करोड़ रुपये भी नहीं बचा सकेगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया जाये। जमाखोरों और काला बाजार वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

सरकार को मजूरी की आय मूल्य नीति बनानी चाहिये। देश में बढ़ रही असमानताओं को रोकने के लिये यह बहुत आवश्यक है।

मुद्रास्फीती को भी रोका जाना चाहिए इसके लिये आवश्यक है कि मूल्यों को स्थिर किया जाये।

वर्तमान आर्थिक संकट बंगला देश से आये शरणार्थियों, पाकिस्तान से संघर्ष और सूखे के कारण नहीं है जैसे कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है। यह संकट गलत आयोजन, गलत, नीति तथा किसी भी चीज को ठीक ढंग से क्रियान्वित न करने के कारण है। आशा है हमारी मातृभूमी मे नया तथा प्रगतीशील नेतृत्व उत्पन्न होगा और वह एक नये भारत का निर्माण करेगा।

Dr. Kailas (Bombay South): The hon. Minister is a very clever person and he has used good words in formulating the Plan. It has been said that active involvement of people in the formulation and implementation of the Plan is necessary. But in this connection I may tell you that the Government have never taken the people in confidence either in formulating or in implementing the Plan. The Government have neglected the democratic decentralization in implementing the Plans. We know that all the previous Plan have failed in their objective.

280 crores of rupees have been earmarked for the purchase of motor vehicles by the officers. This is not good. They can take loan from the banks for the purchase of motor cars. Similarly they should not be granted any loan for building houses. Officers can draw this amount from Life Insurance Company. Every time the attention is paid towards the bureaucrats.

940 crores of rupees have been earmarked for health programmes. This comes to about 2.7 per cent of the total Plan outlay. This percentage should be

raised to 3. Medical facilities are not available in the villages. It is now being said that three-year diploma course is being introduced for the doctors and those persons will be sent to villages. In this regard I may say that this scheme is not good. We do not want these semi-skilled doctors. The amount earmarked for the social welfare should also be increased.

Committees should be formed in the States under the Chairmanship of the concerned Chief Ministers to review the progress. Similarly a Committee should be formed in the Centre under the Chairmanship of Prime Minister.

All the foreign oil companies should be nationalised. This step should be taken immediately. All irrigation projects should be completed quickly. Thermal power projects should also be given priority. Nutrition programme should also be continued. We should not collaborate with the foreign firms. Indigenous technical know-how should be developed.

श्री मुरासोली मारन (मद्रास-दक्षिण): योजना मन्त्री ने कहा कि योजना का प्रारूप तैयार है। परन्तु सदन में अभी तक योजना के 'दृष्टिकोण' पर चर्चा हो रही है। यह एक गम्भीर मामला है। यह सदन तथा इसके सदस्यों का अपमान है। इस सदन के एक संकल्प से ही योजना का गठन हुआ था परन्तु अब ऐसा लगता है कि योजना आयोग ने इस सदन को पीछे छोड़ दिया है।

यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी विश्व बैंक आयोग ने भारतीय आयोग की प्रशंसा की थी परन्तु मेरे विचार में अब इसका कार्य सराहनीय नहीं है और लोगों को इस में विश्वास नहीं रहा। पिछले कुछ महीनो से श्री धर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते रहे हैं। राज्य सभा के पिछले सत्र में उन्होने कहा था कि व्याप्त मुद्रास्फीति के कारण योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु कुछ सप्ताह बाद श्रीनगर में उन्होंने कहा कि कुछ काट छांट करनी होगी। बाद में उन्होंने कहा की योजना व्यय में कटौती करनी पड़ेगी। अन्त में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके भरसक प्रयासों से योजना के महत्वपूर्ण अंग को बचाया जा सकेगा।

सभी धारणायें जिन पर मंत्री महोदय के योजना दृष्टिकोण प्रलेख आधारित हैं, समाप्त हो गई है, इस स्थिति को कैसे सुधारा जायेगा?

अन्य देशों की तुलना में भारत में मूल्य वृद्धि सर्वाधिक हुई है। 1965 से 72 के बीच मूल्य वृद्धि थाईलैंड में 21 प्रतिशत, ईराक में 25 प्रतिशत, ईरान में 28 प्रतिशत, ईथोपिया में 32 प्रतिशत, मैक्सिको में 35 प्रतिशत, श्री लंका में 36 प्रतिशत, पश्चिम जर्मनी में 32 प्रतिशत, कनाडा में 33 प्रतिशत, अमरीका में 35 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 37 प्रतिशत, फ्रांस में 43 प्रतिशत, जापान में 55 प्रतिशत, ब्रिटेन में 56 प्रतिशत तथा भारत में 95 प्रतिशत हुई है।

रुपये का मूल्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वर्ष 1966 देश में रूपये के मुल्य में 75 प्रतिशत गिरावट आई है। युद्ध पूर्व के रुपये का मूल्य घटकर 9 पैसे रह गया है। ऐसी आशंका है कि अभी रुपये का और अवमूल्यन होगा लोगों में ऐसा भय व्याप्त है। मंत्री महोदय को इस भय को दूर करना चाहिये। रबी की फसल अशानुकूल नहीं हुई है। जिसके परिणामस्वरूप हम 500 करोड़ रुपये के मुल्य की विदेशी मुद्रा की कीमत का खाद्यान्न आयात करने जा रहे है। सरकार किस प्रकार इस स्थिती का हल निकालने जा रही है।

बाहरी देशों के पास भारत के उत्पादन तथा आवश्यकताओं के बारे में सही आंकडे हैं। छ: महीने पहले ही विश्व बैंक ने हमारी खाद्यान्न की कमी का किस प्रकार पूर्वानुमान लगा लिया।

भारतीय खाद्य आंकड़ों की संसद द्वारा शीघ्र जांच कराई जानी चाहिये। यह उचित समय है कि वे भारत की जनता को गुमराह किये जाने से रोकें। सरकार ने बताया है कि अत्याधिक प्रवक्ता आ गई है किन्तु इसके लिये उत्तरदाई कौन है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1971–72 में केन्द्रीय सरकार की अनुत्पादिक व्यय के लिये बैंक ऋण की राशि बढ़ कर 1025 करोड़ रुपये हो गई। पहली योजना के दौरान यह 60 करोड़ थी, दूसरी योजना के दौरान 277 करोड़, तीसरी योजना के दौरान 264 करोड़ और अब केवल एक वर्ष में ही यह राशि बढ़कर 1025 करोड़ रुपये हो गई। क्या इस बारे में जांच की आवश्यकता नहीं है? यह अप्रत्यक्ष रूप से घाटे की व्यवस्था है। संविधान के प्रति यह बहुत बड़ा धोखा है। बिना संसदीय स्वीकृति के सरकार ने अनुत्पादिता व्यय को 1025 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है और यह भी केवल एक ही वर्ष में। योजना आयोग ने क्या किया? इसके प्रति उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिये योजना आयोग भी दोषी है।

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया): योजना आयोग किस प्रकार दोषी है?

श्री मुरासोली मारन: राज्यों के पास संसाधनों की कमी है। राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्रीय सरकार के आदेश का पालन करते हैं। योजना आयोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है इसलिये योजना आयोग को दोषी ठहराया जाता है।

जिस आधार पर योजना दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है अवास्तविक है। उदाहरण के लिये इसमें कहा गया है कि "अब खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने यही समझ लिया है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। यह कोई वास्तविक दस्तावेज नहीं है। जनसाधारण पर जोकि नारों से पहले ही तंग आ चुका है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

अगली योजना के लिये 51000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह चौथी योजना से दुगनी है। किन्तु वास्तव में यह राशि इतनी नहीं है। वास्तव में पांचवीं योजना में प्रस्तावित निवेश परिव्यय चौथी योजना अवधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। सरकार ने जनता को वास्तविकता से अवगत नहीं कराया है क्योंकि सभी आंकड़े 1971-72 के मूल्यों पर आधारित हैं। जब नवीनतम मूल्यस्तर उपलब्ध है तो फिर सरकार 1971-72 के मूल्य स्तर का सहारा क्यों ले रही है।

दृष्टिकोण पत्र में कुल परिव्यय निर्धारित करने के पश्चात प्रगति दर 5.5 निर्धारित की गई है। यह औसतन वार्षिक प्रगति दर है। दृष्टिकोण पत्र में बताया गया है कि अधिक प्रगति दर का अर्थ होगा गरीबी को निर्धारित समय से पूर्व दूर करना। सरकार 6.5 प्रतिशत प्रगति दर स्वीकार क्यों नहीं करती? उच्च वर्ग के 30 प्रतिशत उपभोग को रोकने की असम्भावना के दोष को दूर करके तथा विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार पर पड़ने वाले दबाव को दूर करके सरकार 6.5 प्रतिशत की प्रगति दर स्वीकार क्यों नहीं करती है?

पिछली पंचवर्षीय योजना से ही हम इस प्रगति दर को पकड़े हुये हैं। हमारा भूतकालीन अनुभव क्या है। योजनाओं में 3 से 3.5 प्रतिशत से अधिक प्रगति दर उपलब्ध नहीं की जा सकी है। क्या सरकार को विश्वास है कि 51000 करोड़ रुपए की राशि के निवेश में यह दर उपलब्ध हो जायेगी। सरकार को इस विषय में स्वयं भी संदेह है। सरकार ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि 51000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश से 5.5 प्रतिशत प्रगति दर प्राप्त हो सकेगी। सरकार ने केवल यह कहा है कि यदि कुछ व्यवस्था की जाए तथा इस बारे में दृढ़ निश्चय किये जाए तो यह वृद्धि दर प्राप्त हो सकती है। यह नहीं बताया गया कि वह उपाय क्या है।

इस दस्तावेज के पृष्ठ 21 का उद्धरण देते हुए मेरा कहना है कि सरकार ने गरीबी हटाये जाने की भी कोई गारंटी नहीं ली। उन्हों ने स्वीकार किया है कि प्रगति की गति धीमी हो सकती है। इस प्रकार सरकार प्रगति की बलिवेदी पर सामाजिक न्याय तथा पुर्नवितरण न्याय को चढ़ा देना चाहती है। योजना आयोग ने अपनी असफलता के दायित्व से बचने के लिये यह अच्छा उपाय किाला है। यदि योजना के अनुसार पांच वर्षों के बाद गरीबी योजना के अनुसार कम नहीं होती तो आयोग सरलता से कह सकता है कि हम ने पहले ही कहा था कि गरीबी हटाने की गति धीमी हो सकती है किन्तु वृद्धि दर में बढ़ोतरी हो गई है।

सामाजिक न्याय और पुर्नवितरण न्याय दिलाने के दो तरीके हैं। एक ऊपर वालों को नीचे लाकर और दूसरा नीचे वालों को ऊपर वालों के स्तर पर ले जा कर। 30 प्रतिशत धनाड्य व्यक्तियों के उपभोग से कमी कराने के नारे से हम यह अनुमान लगाते हैं कि ये वह व्यक्ति होंगे जो अत्यन्त अमीर हैं तथा जिन के पास काला धन है। किन्तु इस सम्बन्ध में जो परिभाषा हो गई है वह अत्यन्त भ्रामक है। इस परिभाषा के अन्तर्गत वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो प्रतिमास 24.28 रुपया खर्च करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी में बाबू, अध्यापक, चपरासी तथा ड्राइवर तक आ जाते हैं। सरकार ने बिडला और एक मान वाले तथा सिंघानिया और एक स्कूल अध्यापक को एक ही श्रेणी में रख दिया है। यह व्यवस्था अत्यन्त भ्रामक है। वास्तव में यदि सरकार विलास-सामग्री के उत्पादन में कटौती कराये तो धनाड्य व्यक्तियों के उपयोग में बड़ी सरलता से कमी कराई जा सकती है। किन्तु सरकार ने जो व्यवस्था की है उस के अनुसार ऐसे कर्मचारी भी धनी व्यक्तियों की श्रणी में आ जाते हैं जिन की मासिक आय केवल 50 रुपया है। इस प्रकार यह व्यवस्था मजदूर विरोधी व्यवस्था है तथा पांच वर्षों बाद गरीबों की संख्या में और वृद्धि होगी।

ऊपर के तीस प्रतिशत धनी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तथा उन के उपयोग में कमी होगी। इस अतिरिक्त राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा? क्या आप समझते हैं कि वह उस राशि को उत्पादक कार्यों में लगायेंगे? योजना दस्तावेज में बचत सम्बन्धी प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह आशा कभी नहीं रखनी चाहिये कि वह इस राशि के उत्पादन कार्यों में लगायेंगे। मुझे आशंका है कि इस राशि, स्वर्ण और हीरे जवाहरात तथा कार खरीदने में खर्च किया जाएगा। मुझे यह भी आशंका है कि अगले पांच वर्षों में भारत तस्करी करने वालों के लिये आकर्षण केन्द्र बन जाएगा। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि वह बचत सम्बन्धी क्या क्या उपाय करने जा रहे हैं।

जहां तक उत्पादन ढांचे का सम्बन्ध है सरकार मंहगी वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण करने जा रही है। इस से ऐसी वस्तुओं की चोर बाजारी बढ़ेगी क्योंकि वे उपलब्ध नहीं होंगी किन्तु उन की मांग बनी रहेगी। मेरी मातृ भाषा में एक कहावत है जिसका आशय है कि यदि कोई झूठ बोलता है तो उसे लगातार झूठ बोलना चाहिये नहीं तो लोग उसपर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी योजनायें भी स्वप्न के समान हैं किन्तु उनमें संगति तो होनी चाहिये। एक ओर तो सरकार ऊपर के 30 प्रतिशत अमीर लोगों के उपयोग में कमी करना चाहती है किन्तु दूसरी ओर सरकार कहती है कि 1975 तक छोटी कारों का उत्पादन होने लगेगा जिस की संख्या प्रतिवर्ष 50,000 होगी, तथा जिस का मूल्य 12,000 रुपया प्रति कार होगा। इन दोनों बातों में कहां तक संगति है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरा उपाय यह है कि निम्नतम आय वर्ग के 30 प्रतिशत व्यक्तियों के उपयोग में वृद्धि की जाये। इस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के उपभोग में 29.90 रुपया प्रति मास बढ़ कर 36.64 रुपया हो जाएगा तथा नगरीय क्षेत्र में 25.17 रुपया से बढ़कर 39.60

रुपया हो जाएगा। यदि 1979 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी। किन्तु इस विषय में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी। मेरे विचार में स्वयं सरकार को इस विषय में कोई आशा नहीं है।

सरकार ने योजनाओं में जनता को रोजगार देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जिस के बिना सामाजिक न्याय देना असम्भव है। इस समय भारत में केवल 190 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। उस का आशय यह हुआ कि हमारे देश में इतने व्यक्ति बेरोजगार हैं जितनी आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या है। श्री बी० के० नेहरू के कथनानुसार हमारे देश में प्रति दिन बेरोजगारों की संख्या में 6,000 व्यक्तियों की वृद्धि होती है। इस स्थिति में देश की जनता को सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है।

राष्ट्रीय निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक विशेष अध्याय जोड़ा गया है। समाज के कमजोर वर्गों को सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से पांचवीं योजना में 3,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में राज्यों को किस प्रकार धनराशि का नियतन किया जाएगा? प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी समस्यायें होती हैं, किसी की शिक्षा सम्बन्धी किसी की बिजली सम्बन्धी। मेरे राज्य तथा केरल में विश्वविद्यालय पूर्व तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। अतः क्या इस आधार पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन राज्यों को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा? इसीलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में यथास्थिति संशोधन किया जाए।

विकास की दृष्टि से हमारे देश का स्थान विश्व में 84वां है। भारत, चीन और जर्मनी आदि देशों ने विकास करना लगभग साथ-साथ आरम्भ किया था। चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार किया है जब कि हम बहुत पीछे रह गये। उन की तीव्र गति से विकास करने का कारण यह है कि चीन ने योजना कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है क्योंकि वह जानते थे कि केवल केन्द्र द्वारा ही योजनाएं बनाने से सभी कार्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वहां योजनाओं का प्रस्ताव प्रान्तों के स्तर से आता है तथा केन्द्रीय सरकार उन का अनुसरण करती है जब कि हमारे यहां प्रक्रिया उलट है। अतः मेरे विचार से उस दस्तावेज के द्वारा हम न सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं और न प्रगति ही।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : सभापति महोदय !

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 सितम्बर, 1973/आश्विन 14, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 5th September, 1973/Asvina 14, 1895 (Saka).

MGIPND—LS III—1943 (ai) LS—31-1-74—490.